



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या-3132-कार्य/चौदह-पाकालि/2019-8(51)-के/2019

दिनांक: 20 दिसम्बर, 2019

प्रबन्ध निदेशक,

स्पीड पोस्ट

पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/
पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०,
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ,
केस्को, कानपुर।

विषय : मैसर्स मार्सन्स इलेक्ट्रिकल्स इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, आगरा को केस्को, कानपुर द्वारा निविदाओं में प्रतिभाग करने प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अधिशाषी अभियन्ता (भण्डार क्रय) कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि०, कानपुर के कार्यालय ज्ञाप सं०-782/एस०टी०पी०/19-20 दि० 11.11.2019, जो मैसर्स मार्सन्स इलेक्ट्रिकल्स इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, आगरा को वितरण परिवर्तक की निविदाओं में प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में है, का सन्दर्भ ग्रहण करें।

उपरोक्त पत्र की छायाप्रति प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्र को संज्ञान में लेते हुए तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

(आर०के० श्रीवास्तव)
उप सचिव (कार्य)

संख्या--3132-(1)-कार्य/चौदह-पाकालि/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०/राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. अधिशाषी अभियन्ता (भण्डार क्रय) 14/71, सिविल लाईन्स, केस्को, कानपुर को उनके पत्र सं०-782/एस०टी०पी०/19-20 दि० 11.11.2019 के सन्दर्भ में।
3. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अधिशाषी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट-www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक:-यथोपरि।

(आर०के० श्रीवास्तव)
उप सचिव (कार्य)

संख्या-3132-(II)-कार्य/चौदह-पाकालि/2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिजली भवन, पलटन बाजार, गुवाहाटी-781001,
2. अध्यक्ष, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, रेस कोर्स, बड़ोदा-390007,
3. अध्यक्ष, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, पैटर्न, तिरुवनन्तापुरम-695001,
4. सचिव, तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एन0पी0के0पी0आर0, मल्लीगल, 800ए, अन्ना सलाई, चेन्नई-600002,
5. सचिव, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, शिमला (एच0पी0)-171004,
6. सचिव, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, शक्ति भवन, विद्युत नगर, जबलपुर-432008,
7. अध्यक्ष, महाराष्ट्रा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, 4 तल, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई-400051,
8. सचिव, मेघालय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, लूम जिंगशाल, राउण्ड रोड, सिलॉग-793001,
9. अध्यक्ष, झाड़खण्ड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इन्जिनियरिंग बिल्डिंग, एच0ई0सी0 धुर्वा, राँची-834004,
10. अध्यक्ष, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, 7वाँ तल, बिधान नगर, कलकत्ता-700091,
11. प्रबन्ध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग क0 लि0, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर-492013,
12. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन लि0, विद्युत सौधा, हैदराबाद-500082,
13. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, हैदराबाद-500049,
14. प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा विद्युत पारेषण निगम लि0, शक्ति भवन, सेक्टर-06, पंचकुला, हरियाणा-134109,
15. अध्यक्ष, उ0 दिल्ली पावर लि0, ग्रिड सब-स्टेशन बिल्डिंग, हरसंन लाइन, किंगस् वे कैम्प, नई दिल्ली-110009,
16. अध्यक्ष, दिल्ली ट्रांसमिशन लि0, शक्ति सदन, कोटा रोड, नई दिल्ली-110002,
17. अध्यक्ष, उड़ीसा हाईड्रो पावर कारपोरेशन लि0, भुवनेश्वर-751001,
18. प्रबन्ध निदेशक, कर्नाटक पावर जेनेरेशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, 82-रेस कोस रोड, बैंगलौर-500001,
19. प्रबन्ध निदेशक, गुजरात स्टेट एनर्जी जेनेरेशन लि0, ब्लाक-5, 3 तल, उद्योग भवन, सेक्टर-11, गाँधीनगर-382001, (गुजरात)।
20. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ग्रिड कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लि0, जनपद, भुवनेश्वर-751001,
21. अध्यक्ष, जोधपुर विद्युत निगम लि0, न्यू पावर हाउस, इन्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर, राजस्थान।
22. अध्यक्ष, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन, न्यू विधान सभा मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
23. अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, विद्युत मार्ग, जयपुर-337001,
24. प्रबन्ध निदेशक, वेस्ट बंगाल रूरल एनर्जी डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, 19ए, ब्रिटिश इन्डियन स्ट्रीट 3 तल, कलकत्ता- 700069,
25. सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत परिसर निगम लि0, विद्युत भवन, ज्योति नगर, आर0सी0 देव मार्ग, जयपुर-302005।
26. सचिव, दिल्ली विद्युत बोर्ड, रूम नं0-104, शक्ति भवन, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली-110019,
27. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिण हरियाणा बिजली विद्युत निगम लि0, विद्युत नगर, हिसार-126005,
28. अध्यक्ष, (विस्ट जोन), मध्य प्रदेश पश्चिम कहेत्रा विद्युत वितरण कारपोरेशन लि0, जी0पी0एच0 कम्पाउन्ड, पोलो ग्राउन्ड, इन्दौर।
29. निदेशक, जनरल ऑफ सप्लाय एण्ड डिस्पोजल डेवलपमेन्ट ऑफ कामर्स (सप्लाय ऑफ डिविजन) जीवन तारंग बिल्डिंग, 5-पार्लियामेंट स्ट्रीट, न्यू दिल्ली-110001।
30. अध्यक्ष, नेशनल स्मॉल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि0, नीथर ओखला इन्डस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली।
31. अध्यक्ष, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पटना, बिहार।

संलग्नक-यथोपरि।

(आर0 के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव (कार्य)



कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि०

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (मण्डार कय)

14/71, सिविल लाईन्स, केस्को, कानपुर।

cestpokesco@gmail.com

पत्रांक:- 782 / एस०टी०पी०/19-20/

पत्र सं० 2829 दिनांक 14.10.2019

कार्यालय झाप

कम सं० 0 दिनांक 14/10

पत्रावली सं० 8(51)की/19

मैसर्स मार्सन्स इलेक्ट्रिकल्स इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, आगरा द्वारा केस्को के आदेश सं० 570/STP/19-20 दिनांक 02.09.2019 के तत्कम में जारी पत्र सं० 577/एस०टी०पी०/19-20 दिनांक 04.09.2019 एवं 241/KESCO/Accounts दिनांक 06.09.2019, जिसके द्वारा उक्त फर्म के विरुद्ध निम्नलिखित आदेश प्रारित किए गये थे, के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका सं० 31946 वर्ष 2019 नियोजित की गयी। केस्को आदेश का विवरण निम्नवत है:-

"मैसर्स मार्सन्स इलेक्ट्रिकल्स इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, आगरा को केस्को क्रयादेश सं० जी०एम०जे०-304/ए०एफ०-29 दिनांक 04.10.2016 के अर्न्तगत 10 MVA 33/11 के०वी० पावर परिवर्तकों की समय से आपूर्ति न करने, मानकों के अनुरूप सामग्री के निर्देशन में यथोचित सहयोग न करने, 04 नग 10 एम०वी०ए० पावर परिवर्तकों की आपूर्ति अत्यधिक विलम्ब के उपरान्त भी न करने एवं आई०पी०डी०एस० योजना के कार्यों को बाधित करने एवं क्रयादेश सं० जी०एम०जे०-304/ए०एफ०-25 दिनांक 04.10.2016 के अर्न्तगत आपूर्तित 400 के०वी०ए० वितरण परिवर्तक की गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्तता दर, निर्धारित मानक दर 05 प्रतिशत से अधिक होने, क्षतिग्रस्त वितरण परिवर्तकों को समय से सम्मत हेतु न उठाये जाने/निम्न गुणवत्ता के वितरण परिवर्तकों की आपूर्ति का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप यू०पी०पी०सी०एल० द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुपालन में अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन एवं केस्को की छवि खराब करने के दोषी पाये जाने के कारण मैसर्स मार्सन्स इलेक्ट्रिकल्स इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, आगरा के विरुद्ध निम्न कार्यवाही की जाती है -

1. केस्को द्वारा पावर परिवर्तकों की आपूर्ति हेतु निर्गत क्रयादेश सं० जी०एम०जे०-304/ए०एफ०-29 दिनांक 04.10.2016 के अर्न्तगत 10 एम०वी०ए०, 33/11 के०वी० पावर परिवर्तकों की ससमय आपूर्ति में असफल रहने के कारण क्रयादेश सं० जी०एम०जे०-304/ए०एफ०-29 दिनांक 04.10.2016 को Short Close करते हुये फर्म द्वारा जमा की गयी प्रामाण्य धनराशि रु० 1.01 करोड़ की बी०जी० सं० 027317ILFIN3792 (यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया) दिनांक 13.09.2017 को जब्त किया जाता है।
2. फर्म द्वारा क्रयादेश सं० जी०एम०जे०-304/ए०एफ०-25 दिनांक 04.10.2016 के अर्न्तगत आपूर्ति किये गये 400 के०वी०ए० वितरण परिवर्तकों के गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्तता, मानक क्षतिग्रस्तता दर 05 प्रतिशत से अधिक होने के कारण यू०पी०पी०सी०एल० द्वारा निर्धारित गाइडलाइन में दिए गये निर्देशों के अनुपालन में फर्म की रु० 15345000.00 की बी०जी० सं० 027317ILFIN2754 (यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया) दिनांक 18.04.2017 एवं रु० 15345000.00 की बी०जी० सं० 027317ILFIN2755 (यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया) दिनांक 18.04.2017 को जब्त करते हुये केस्को के अर्न्तगत अगली 03 निविदाओं या 03 वर्षों (जो बाद में हो) तक वितरण परिवर्तक की निविदाओं में प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित किया जाता है।

प्रबन्ध निदेशक, केस्को

(अतुल कुमार)

अपर सचिव (मैसर्स) मार्सन्स इलेक्ट्रिकल्स इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, आगरा द्वारा प्रबन्ध निदेशक, केस्को को सम्बोधित पत्र सं० MEI/KESCO/1667 दिनांक 22.10.2019 के माध्यम से याचिका सं० 31946 वर्ष 2019 (मैसर्स

Page 1 of 27

सं० 082 सं० सं० (कार्य) / शिविर / पा० का० लि० / 20.19

JEEDUTY ENGINEER
Store Purchase Office
KANPUR

अप ब्लिज / नाम

28/11/19

28/11/19

28/11/19

क० प्रस्तुत है

21/11/19

28/11/19
अप ब्लिज

मार्सन्स इलेक्ट्रिकल्स इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, आगरा V/s स्टेट पावर (सी०) इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2019 केस्को मुख्यालय में प्रस्तुत किया गया। मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उक्त याचिका को अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुए निम्नलिखित निर्देश पारित किए हैं -

"The respondents are directed to consider the explanation submitted by the petitioner to the show cause notice and pass order afresh within a period of four weeks from the date of production of certified copy of this order"

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दिए गये निर्देशों के अनुपालन में केस्को के कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.08.2019 के संदर्भ में उक्त फर्म द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर दिनांक 26.08.2019 का निम्नवत् अवलोकन किया गया -

कानपुर नगर के विद्युत उपभोक्ताओं को 24 घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा कानपुर नगर के विद्युत बॉध में सुधार हेतु वर्ष 2016 में अनुमत्य की गयी महत्वाकांक्षी आई०पी०डी०एस० योजना के क्रियान्वयन हेतु केस्को द्वारा विभिन्न निविदाओं के तहत मैसर्स मार्सन्स इलेक्ट्रिकल्स इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, आगरा को निम्नलिखित सामग्रियों की आपूर्ति हेतु क्रयादेश जारी किए गये -

क्रम सं०	ई-निविदा सं०	क्रयादेश सं०	सामग्री का नाम	इकाई	मात्रा	Contractual Delivery Period
1.	15/IPDS/16-17	GMI-304/AF-29, Dt. 04.10.2016	10 MVA, 33/11 KV Copper wound Power Transformer. (with on-load tap-changer, no load loss-7 KW & full load loss -50 KW)	No.	20	05 Nos. 12/16 05 Nos. 01/17 05 Nos. 02/17 05 Nos. 03/17
2.	16/IPDS/16-17	GMI-304/AF-25, Dt. 04.10.2016	400 KVA, 11/0.43 KV Copper wound distribution transformer. Energy efficient category : level -II/4star	No.	600	150 Nos. 12/16 150 Nos. 01/17 150 Nos. 02/17 150 Nos. 03/17
3.	17/IPDS/16-17	GMI-304/AF-24, Dt. 04.10.2016	250 KVA, 11/0.43 KV Copper wound distribution transformer. Energy efficient category : level -II/4star	No.	270	135 Nos. 12/16 135 Nos. 02/17
			63 KVA, 11/0.43 KV Aluminum wound distribution transformer. Energy efficient category : level -II/4star	No.	11	11 Nos. 12/16

क्रयादेश सं० GMI-304/AF-24 दिनांक 04.10.2016 के विरुद्ध मैसर्स मार्सन्स इलेक्ट्रिकल्स इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, आगरा द्वारा माह दिसम्बर-2016 तक 135 नग एवं माह फरवरी-2017 तक शेष 135 नग 250 KVA, 11/0.43 KV Copper Wound Distribution Transformers तथा माह दिसम्बर-2016 तक 11 नग 63 KVA, 11/0.43 KV Aluminum wound distribution transformers की आपूर्ति करनी थी।

क्रयादेश सं० GMI-304/AF-25 दिनांक 04.10.2016 के विरुद्ध मैसर्स मार्सन्स इलेक्ट्रिकल्स इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, आगरा द्वारा माह दिसम्बर-2016 तक 150 नग, माह जनवरी-2017 तक 150 नग, माह फरवरी-2017 तक 150 नग एवं माह मार्च-2017 तक शेष 150 नग 400 KVA, 11/0.43 KV Copper Wound Distribution Transformers की आपूर्ति करनी थी।

क्रयादेश सं० GMI-304/AF-29 दिनांक 04.10.2016 के विरुद्ध पैसर्स मार्गना इलेक्ट्रिकल्स इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, आगरा द्वारा माह दिसम्बर-2016 तक 05 नग, माह जनवरी-2017 तक 05 नग, माह फरवरी-2017 तक 05 नग एवं माह मार्च-2017 तक 05 नग 10 MVA 33/11 KV Copper wound Power Transformers की आपूर्ति कम्पनी थी।

उक्त सामग्रियों के Inspection/Testing के सन्दर्भ में क्रयादेश सं० GMI-304/AF-29 दिनांक 04.10.2016 में स्पष्ट विरुद्ध निम्नलिखित बिन्दु संख्या द्वारा दिये गये थे:-

Point-9 : Inspection and Testing: As soon as the material is ready for dispatch, the same shall be offered for inspection. No material shall be dispatched without inspection. The inspection will be carried by team of officers of KESCO/ERDA/BITES nominated by M.D. KESCO, alongwith the representative of REC/PFC/MoP as per QAM (Quality Assurance and Evaluation Mechanism).

1.1 On receipt of each inspection call from the firm, the inspection and testing of Transformers at firm's premises will be done by a reputed third party (especially having experience of testing of power transformers)/officers, nominated by M.D. KESCO Kanpur and the representative of REC/PFC/MoP.

1.2 The inspecting agency shall have the right for checking records pertaining to receipt and issue of all major raw materials and supplier shall have to submit requisite test certificate, if any for each and every consignment of major items of raw material.

(A) Name of manufacturer and SL No. must be punched on core of every Transformer

(B) Stage Inspection is compulsory and inspecting team/officer shall ensure that the dimension & weight of core, winding, structure etc shall be as per Guaranteed Technical Particular (GTP).

2. Tests:- All the test will be carried out as per Clause no. 08, given in E-tender tech. spec. The supplier shall give seven days notice for stage inspection & tanking of core & winding in transformer. Also, the supplier shall give seven days notice to the undersigned regarding the transformers ready for dispatch alongwith routine test results conducted by them, so that inspection of the transformers may be managed. The transformers shall be subjected to the Routine Tests as per relevant ISS at manufacturer's works. No charges whatsoever on this account shall be paid to the supplier.

The supplier shall record either of following certificates on the invoice/packing list (challan) as the case may be.

Certified that consignment (lot) of material supplied through this invoice has been inspected and tested by representative of KESCO, Kanpur. Test results were found to be as per technical specification of ET 15/IPDS/16-17. It is further, certified that this material was, however, tested in test laboratory at our works and test results were found to be within this value specified in the relevant ISS/Tender specification/Contract, copy of test certificate enclosed and as per-GTP.

Transformer shall be inspected for the following to verify that all provisions made in the specifications and technical particulars are completed with:-

- Check of dimensions of transformer.
- Internal and external construction of transformer.
- Workmanship.
- To check the genuineness of the raw material in manufacture of transformer. Inspecting Officer can demand original invoice and test certificate. In case of any dispute regarding genuineness of quality of material or otherwise samples of such material shall be taken in

Page 3 of 27


SUPERVISOR ENGINEER
Stores Purchase Office
KESCO, KANPUR

presence of representative of suppliers and purchaser. Sample shall be sealed and signed by the representative of suppliers and purchaser. These samples shall be sent to an institution or lab of repute for testing. Results of such testing shall be binding on the supplier. The transformer shall be rejected if the material is not found up to mark during such testing.

e. Inspecting officer/team shall ensure to be there at the time of tanking core & winding & upto final inspection and ensure that the core & winding in tank shall be the same as at the time of stage inspection. Firm shall ensure to call at the time of tanking to inspection.

f. Inspection of testing instrument:- All the measuring instruments e.g. Watt meter, Voltmeter, AVO meter, C.T. and P.T. and other instrument should be properly calibrated by lab of repute. Calibration Certificate when demanded by inspecting officer shall be produced for verification purpose. In case of any dispute regarding Calibration of Instruments, Instruments shall be sealed and signed by the representative of supplier and purchaser and shall be sent to institution/Lab of repute/ own lab of KESCO. Calibration thus obtained shall be binding on supplier.

g. Routine test of transformer:- As per IS/tender specification no. 15/IPDS/16-17.

h. In addition to above, oil used in transformer shall be tested for its dielectric strength taken out from the transformer offered for inspection.

Insulation resistance and value for HV and LV to earth shall be higher than the above specified values.

The supplier shall offer to the inspecting officer, representing the purchaser, all the reasonable facilities without any charges to enable him to satisfy that all the material is being supplied in accordance with the specification.

The supplier shall take up manufacturing of transformers as per drawing and GTP approved by IPDS/REC/UPPCL/Kesco.

Point-11 (Type Test): The above/offered Transformer should be type tested by ERDA Vadodara/CPRI Bangalore.

लेकिन मैसर्स मार्सन्स इलेक्ट्रिकल्स इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, आगरा ने उपरोक्त परिवर्तकों की सप्लाई समयानुसार, जो कि उपरोक्त क्रयादेशों में वर्णित था, नहीं की, जिसका विवरण निम्नवत् है -

Sl No.	KESCO P.D. No. & Date	Material	Total Qty.	Delivery schedule as per PO		1 st extension of delivery schedule		2 nd extension of delivery schedule		Actual receipt	
				Month	Qty.	Month	Qty.	Month	Qty.	Month	Qty.
1.	AF-29, Dt. 04.10.16	33/11 KV 10 MVA Power Transformer	20	Dec 16	5	Jul 17	4	Jul 17	4	Jul 17	4
				Jan 17	5	Aug 17	4	Feb 18	3	Feb 18	3
				Feb 17	5	Sep 17	4	Apr 18	1	Apr 18	1
				Mar 17	5	Oct 17	4	Jun 18	2	Jun 18	3
						Nov 17	2	Jul 18	10	Sep 18	2
						Dec 17	2			Feb 19	2
										May 19	2
Total					20		20		20		16
	AF-25,	400 KVA	600	Delivery		STP/(ET-15/IPDS/16-		STP/(ET-			Actual receipt

DL	11/0.43 KV CU wound Distribution Transformer	schedule as per PO	17/AF-25/17- 18/422, Dt. 25.07.17	16/IPDS/16- 17/AF-25/18- 19/306, Dt. 21.06.18							
		Dec 16	150	May 17	50	May 17	50	May 17	50		
		Jan 17	150	Jun 17	50	Jun 17	50	Jun 17	50		
		Feb 17	150	Jul 17	100	Jul 17	82	Jul 17	75		
		Mar 17	150	Aug 17	100	Aug 17	50	Aug 17	18		
				Sep 17	75	Sep 17	63	Sep 17	95		
				Oct 17	75	Nov 17	32				
				Nov 17	75	Dec 17	48	Dec 17	80		
				Dec 17	75	Feb 18	65	Feb 18	65		
						Apr 18	100	Apr 18	100		
						May 18	60	May 18	60		
Total			600		600		600		600		
3.	AF-24, Dt. 04.10.16	250 KVA 11/0.43 KV CU wound Distribution Transformer	270	Delivery schedule as per PO		STP/(ET-17/IPDS/16- 17/AF-24/17- 18/424, Dt. 25.07.17		STP/(ET- 17/IPDS/16- 17/AF-24/18- 19/304, Dt. 21.06.18		Actual receipt	
				Dec 16	135	Apr 17	50	Apr 17	50	Apr 17	50
				Feb 17	135	Jun 17	90	Jun 17	50	May 17	10
						Jul 17	50	Jul 17	50	Jun 17	80
						Aug 17	50	Aug 17	50	Jul 17	60
						Oct 17	70	Oct 17	50	Aug 17	50
						Nov 17	20	Nov 17	20		
Total			270		270		270		270		
	AF-24, Dt. 04.10.16	63 KVA 11/0.43 KV AL wound Distribution Transformer	11	Delivery schedule as per PO		STP/(ET-17/IPDS/16- 17/AF-24/17- 18/424, Dt. 25.07.17		Actual receipt			
				Dec 16	11	July 17	11			Aug 17	11
Total			11		11		11		11		

A- 10 MVA, 33/11 KV Copper wound Power Transformers के संदर्भ में -

1. मैसर्स मोर्सन्स इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. आगरा ने सर्वप्रथम पावर परिवर्तक क्रमांक MEA100902 की आपूर्ति दिनांक 13.07.2017 को एवं पावर परिवर्तक क्रमांक MEA100903 की आपूर्ति दिनांक 14.07.2017 को एवं पावर परिवर्तक क्रमांक MEA100904 एवं MEA100905 की आपूर्ति दिनांक 31.07.2017 को की, जिनकी आपूर्ति फर्म द्वारा साठ दिसेम्बर-2016 में की जानी थी। इस प्रकार उक्त 04 पावर परिवर्तकों की आपूर्ति फर्म द्वारा साठवें माह में देरी से की गयी।
2. मैसर्स मोर्सन्स इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., आगरा ने सामग्री की आपूर्ति देरी से करने को उपरान्त पावर परिवर्तकों की आपूर्ति के शिड्यूल में परिवर्तन करते हेतु उनके द्वारा एच सं० MEI/KESCO/10MVA/756 दिनांक 07.08.2017 एवं MEI/KESCO/10MVA/761 दिनांक 07.06.2017 द्वारा अनुरोध किया, जिस पर प्रबन्ध निदेशक, कोस्की ने सद्भावनापूर्ण विचार करते हुए आपूर्ति शिड्यूल परिवर्तित करने का अनुमोदन प्रदान किया तथा संदर्भित मत्र सं० STP/(ET-15/IPDS/16-17)/AF-29/17-18/423 दिनांक 25.07.2017 के अनुसार साठ जुलाई-2017 में 04 नव, माह अगस्त-2017 में 04 नव, माह सितम्बर-2017 में 04 नव, माह अक्टूबर-2017

04 नग, माह अगस्त-2017 में 02 नग एवं शेष 02 नग पावर परिवर्तकों को माह दिसम्बर-2017 में आपूर्ति करने हेतु संशोधित/विस्तारित आपूर्ति शिड्यूल जारी किया गया, परन्तु फर्म द्वारा प्रथम 04 नग पावर परिवर्तक माह जुलाई-2017 में देने के उपरान्त पावर परिवर्तक क्रमांक सं० MEA100906 दिनांक 23.02.2018 को, MEA100907 दिनांक 21.02.2018 को, MEA100908 दिनांक 22.02.2018 को एवं MEA100909 दिनांक 25.04.2018 को आपूर्ति की गयी, जो कि परिवर्तित आपूर्ति शिड्यूल के अनुसार माह अगस्त-2017 में की जानी थी। इस प्रकार इन 04 नग पावर परिवर्तकों की आपूर्ति भी संशोधित/विस्तारित आपूर्ति शिड्यूल से लगभग 06 से 08 माह के उपरान्त की गयी। फर्म द्वारा पावर परिवर्तक क्रमांक MEA100910 दिनांक 21.06.2018 को एवं MEA100911 दिनांक 29.06.2018 को आपूर्ति किया गया, जो कि संशोधित/विस्तारित आपूर्ति शिड्यूल (सितम्बर-2017) से 09 माह विलम्बित था।

3. मैसर्स मॉर्सन्स इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, आगरा द्वारा अपने पत्र सं० MEI/KESCO-10 MVA/2726, Dt. 18.01.2018, MEI/KESCO-10MVA/3067, Dt. 22.02.2018, MEI/AF-29/10 MVA/0228 Dt. 21.04.2018 एवं MEI/KESCO-10MVA/686, Dt. 02.06.2018 द्वारा द्वितीय बार डिलीवरी शिड्यूल को संशोधित करने हेतु किए गये अनुरोध पर केंद्रको प्रबन्धन द्वारा पुनः सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए एवं आई०पी०डी०एस० योजना को पूर्ण कराने के उद्देश्य से अधिशाही अभियन्ता (मण्डार क्रय), केंद्रको द्वारा पत्र सं० STP/(ET-15/IPDS/16-17)/AF-29/18-19/302, Dt. 21.06.2018 से द्वितीय बार डिलीवरी शिड्यूल माह जुलाई-2017 में 04 नग, माह फरवरी-2018 में 03 नग, माह अप्रैल-2018 में 01 नग, माह जून-2018 में 02 नग एवं शेष 10 नग 10 MVA पावर परिवर्तकों की आपूर्ति माह जुलाई-2018 में करने का जारी किया गया, लेकिन उक्त फर्म द्वारा माह फरवरी-2019 तक अन्तिम आपूर्ति माह (जुलाई-2018) के लगभग 09 माह व्यतीत होने के बाद भी केवल 04 नग 33/11 KV 10 MVA पावर परिवर्तकों की आपूर्ति करते हुए कुल 14 नग पावर परिवर्तकों की आपूर्ति की गयी, जिससे भारत सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना के कार्यों को केंद्रको द्वारा दिनांक 31.03.2019 का Short Closer करना पड़ा, शेष 02 नग 33/11 KV 10 MVA पावर परिवर्तकों की आपूर्ति आई०पी०डी०एस० योजना के Short Closer के उपरान्त माह मई-2019 में की गयी। उपरोक्त के प्रकाश में यहाँ उल्लेखनीय है कि अधिशाही अभियन्ता (मण्डार खण्ड) एवं मण्डार क्रय कार्यालय द्वारा पत्राचार के माध्यम से उक्त फर्म से 10 MVA पावर परिवर्तकों की आपूर्ति करने हेतु समय-समय पर लगातार निम्नवत् पत्राचार द्वारा अनुरोध किया गया:-

क्रम सं०	पत्र सं०	कार्यालय
1	एस०टी०पी०/17-18/1514 दिनांक 25.01.2018	मण्डार क्रय खण्ड
2	810/मण्डार/ए०एफ०-29/Power T/F दिनांक 03.11.2018	मण्डार खण्ड
3	878/मण्डार क्रय/ए०एफ०-29/18-19 दिनांक 13.11.2018	मण्डार क्रय खण्ड
4	91/मण्डार/ए०एफ०-29/2018-19 दिनांक 05.02.2019	मण्डार खण्ड
5	1215/मण्डार क्रय/ए०एफ०-29/18-19 दिनांक 07.02.2019	मण्डार क्रय खण्ड
6	1299/एस०टी०पी०/18-19 दिनांक 26.02.2019	मण्डार क्रय खण्ड
7	180/मण्डार/ए०एफ०-29/10 MVA दिनांक 11.03.2019	मण्डार खण्ड
8	1375/मण्डार क्रय/ए०एफ०-29/18-19 दिनांक 12.03.2019	मण्डार क्रय खण्ड
9	210/मण्डार/ए०एफ०-29/Power T/F दिनांक 27.03.2019	मण्डार खण्ड
10	1451/एस०टी०पी०/2018-19 दिनांक 29.03.2019	मण्डार क्रय खण्ड
11	324/मण्डार/ए०एफ०-29/Power T/F दिनांक 27.04.2019	मण्डार खण्ड
12	376/मण्डार/ए०एफ०-29/2019-20 दिनांक 11.05.2019	मण्डार खण्ड

13	एस0टी0पी0 / 2019-20 / 219 दिनांक 16.05.2019	मण्डार कय खण्ड
14	एस0टी0पी0 / 2019-20 / 224 दिनांक 17.05.2019	मण्डार कय खण्ड
15	एस0टी0पी0 / 2019-20 / 225 दिनांक 17.05.2019	मण्डार कय खण्ड
16	544 / एस0टी0पी0 / 2019-20 दिनांक 20.08.2019	मण्डार कय खण्ड

4. अधिशाषी अभियन्ता (मण्डार कय) कार्यालय के पत्र सं० 219/एसटीपी/2019-20 दिनांक 16.05.2019 के अनुसार उक्त फर्म द्वारा 02 नम 10 MVA 33/11 KV पावर परिवर्तक (MEA100918 & MEA100919) का स्टेज निरीक्षण एवं 02 नम 10 MVA 33/11 KV पावर परिवर्तक (MEA100916 & MEA100917) का अन्तिम निरीक्षण दिनांक 25.04.2019 को कराया गया, जिसके संदर्भ में M/s RECTPCL नई दिल्ली द्वारा प्रेषित निरीक्षण रिपोर्ट सं० RECTPCL/IPDS/KESCO/INSP/19-20/PTF/01, Dt. 02.05.2019 में गम्भीर आपत्तियाँ अंकित की गयी थी, जिसका विवरण निम्नवत् है -

A. Stage Inspection of 33/11 KV 10 MVA Power Transformer. (02 Nos.) (SI No. MEA100918 & MEA100919)

- While inspecting the Transformer tank, thickness of the Transformer tank wall could not be measured due to unavailability of measuring apparatus at manufacturer's works.
- While inspecting the copper windings, it was observed that the Paper Insulation on the top portion was not smooth. This might be possible due to rubbing/removing of the top layer of paper insulation or due to putting on an additional layer of paper insulation on the portion. Considering this, chances of offering a previously inspected winding after erasing signature/markings of inspecting officers cannot be denied.
- In case, if the firm is not using the inspected windings during finalization of the transformer, a possibility of using low grade or less quantity of copper windings cannot be neglected.

ऊपर अंकित आपत्ति (A) एक अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की आपत्ति थी, जिससे सामग्री की निम्न गुणवत्ता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उक्त दोनों 10 MVA 33/11 KV पावर परिवर्तकों (MEA100918 & MEA100919) के टाप कवर को खोल कर अन्तिम निरीक्षण हेतु पत्रांक STP/(ET-15)/IPDS/16-17/19-20/349 दिनांक 20.06.2019 द्वारा M/s RECTPCL एवं श्री मदन लाल, अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय) कस्को को संयुक्त रूप से ज्ञापित किए जाने के उपरान्त से आज तक फर्म द्वारा उक्त 02 नम 10 MVA 33/11 KV पावर परिवर्तकों (MEA100918 & MEA100919) का अन्तिम निरीक्षण नहीं कराया गया, जिससे यह विदित होता है कि उक्त फर्म द्वारा उक्त परिवर्तकों की गुणवत्ता अर्थात्मानक थी तथा उक्त फर्म उपरोक्त पावर परिवर्तकों की आपूर्ति करने की इच्छुक नहीं थी।

B. Final Inspection of 33/11 KV 10 MVA Power Transformer (SI No. MEA100916 & MEA100917)

- During physical inspection of transformer, it was noticed that the OLTC size and make was not as per KESCO's approved Drawing and submitted Type Test Reports of Power Transformer.

As per IPDS Technical Specification (Volume-III, Sec-I) clause no. 8.1, it is mentioned "Transformer not manufactured as per Type-Tested design shall be rejected"

ऊपर अंकित आपत्ति (B) भी एक अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की आपत्ति थी, जिसके अनुसार उक्त फर्म द्वारा अनुमोदित जी०टी०पी० से मिले मेक का OLTC, 10 MVA 33/11 KV पावर परिवर्तक (SI No. MEA100916 & MEA100917) में लगाकर एक गम्भीर अनियमितता की गयी। इस सम्बन्ध में उक्त फर्म को कस्को से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक थी, परन्तु बिना पूर्वानुमति के अन्य मेक का OLTC लगाया जाना फर्म के सतत कार्य पद्धति को दर्शाता है। अधिशाषी अभियन्ता (मण्डार कय) कार्यालय द्वारा अन्य मेक के

OLTC को इाइंग अनुमोदित करने के उपरान्त फर्म द्वारा उक्त दोनों 10 MVA 33/11 KV पावर परिवर्तकों की आपूर्ति माह मई-2019 में की गयी।

उल्लेखनीय है कि इस प्रकार से कुल 20 नग पावर परिवर्तकों के विरुद्ध मात्र 18 नग पावर परिवर्तकों की आपूर्ति की गयी। फर्म द्वारा आपूर्ति 10 MVA 33/11 KV पावर परिवर्तकों में से 03 नग पावर परिवर्तक (MEA100908, MEA100912 & MEA100914) को क्रमशः (i) विजलीघर खण्ड के अर्न्तगत-म्योरमिल उपकेन्द्र, (ii) फूलबाग खण्ड के अर्न्तगत-फूलबाग उपकेन्द्र (iii) जरीबचौकी खण्ड के अर्न्तगत-जरीबचौकी उपकेन्द्र पर स्थापित करते समय मेगर वैल्यू कम आना/न्यूनतम में करेन्ट के अधिक होने की समस्या का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उपरोक्त पावर परिवर्तकों की स्थापना में लगभग 01 माह का विलम्ब हुआ तथा पावर परिवर्तकों को समय से ऊर्जाकरण न होने के कारण, अन्य कार्य भी प्रभावित हुए, जिसके कारण केस्को की छवि भी विद्युत उपभोक्ताओं के मध्य धूमिल हुयी।

B- 400 KVA, 11/0.43 KV Copper wound distribution transformers के संदर्भ में -

1. उक्त तालिका के अनुसार मैसर्स मौसन्स इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, आगरा द्वारा सर्वप्रथम 50 नग वितरण परिवर्तकों की आपूर्ति माह मई-2017 में, 56 नग की आपूर्ति जून-2017 में, 76 नग की आपूर्ति माह जुलाई-2017 में, 18 नग की आपूर्ति अगस्त-2017 में, 95 नग की आपूर्ति माह सितम्बर-2017 में, 80 नग की आपूर्ति माह दिसम्बर-2017 में, 65 नग की आपूर्ति माह फरवरी-2018 में, 100 नग की आपूर्ति माह अप्रैल-2018 में एवं शेष 60 नग की आपूर्ति माह मई-2018 में की गयी।
2. इस प्रकार उक्त फर्म द्वारा माह दिसम्बर-2016 में जो आपूर्ति करनी थी वह उन्होंने 05 से 07 माह उपरान्त माह मई-2017 एवं जुलाई-2017 में की। इसी प्रकार फर्म द्वारा जो आपूर्ति माह जनवरी-2017 में करनी थी, वह आपूर्ति 06 से 11 माह उपरान्त जुलाई-2017 से दिसम्बर-2017 तक की। इसी प्रकार उक्त फर्म द्वारा जो आपूर्ति माह फरवरी-2017 में करनी थी, वह आपूर्ति 10 से 14 माह उपरान्त माह दिसम्बर-2017 एवं अप्रैल-2018 तक की। इसी प्रकार उक्त फर्म द्वारा जो आपूर्ति माह मार्च-2017 में करनी थी, वह आपूर्ति 13 से 14 माह उपरान्त माह अप्रैल-18 एवं मई-2018 में की।
3. उक्त फर्म द्वारा समय से क्रयदेश के अनुसार डिलीवरी शिड्यूल के अनुसार आपूर्ति करने में असमर्थ रहने पर उनके अनुरोध पत्र सं० MEI/KESCO-400KVA/3363 Dt. 23.03.2017, MEI/KESCO-400KVA/0091 Dt. 10.04.2017 एवं MEI/KESCO-400KVA/760 Dt. 07.06.2017 पर केस्को प्रबन्धन द्वारा विचार कर अधिशाषी अभियन्ता (मण्डार क्रय), केस्को के पत्र सं० STP/(ET-16/IPDS/16-17)/AF-25/17-18/422, Dt. 25.07.2017 द्वारा डिलीवरी शिड्यूल का प्रथम संशोधन/विस्तारण माह दिसम्बर-2017 तक समस्त सामग्री की आपूर्ति करने के साथ जारी किया गया, परन्तु फर्म संशोधित/विस्तारित डिलीवरी शिड्यूल के अनुसार भी सामग्री की आपूर्ति नहीं कर सकी। उक्त फर्म द्वारा मई-2018 में समस्त सामग्री की आपूर्ति की गयी। मैसर्स मौसन्स इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, आगरा द्वारा पुनः सामग्री की वास्तविक आपूर्ति के अनुसार डिलीवरी शिड्यूल को पुनः संशोधित करने हेतु दिए गये अनुरोध के संदर्भ में केस्को प्रबन्धन द्वारा पुनः सदभावनापूर्वक विचार कर वास्तविक सामग्री की डिलीवरी किए जाने के अनुसार डिलीवरी शिड्यूल का द्वितीय संशोधन/विस्तारण अधिशाषी अभियन्ता (मण्डार क्रय), केस्को द्वारा पत्र सं० STP/(ET-16/IPDS/16-17)/AF-25/18-19/306, Dt. 21.06.2018 से जारी किया गया।

C- 250 KVA, 11/0.43 KV Copper wound distribution transformer & 63 KVA, 11/0.43 KV Aluminum wound distribution transformers के संदर्भ में -

1. मैसर्स मॉर्सन इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०, आगरा द्वारा सर्वप्रथम 50 नग 250 KVA वितरण परिवर्तकों की आपूर्ति माह अप्रैल-2017 में, 10 नग की आपूर्ति माह मई-2017 में, 80 नग की आपूर्ति माह जून-2017, 60 नग की आपूर्ति माह जुलाई-2017 में, एवं 50 नग की आपूर्ति माह अगस्त-2017 में एवं रोब 20 नग की आपूर्ति माह नवम्बर-2017 में की गयी।
2. मैसर्स मॉर्सन इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज, आगरा द्वारा 11 नग 63 KVA वितरण परिवर्तकों की आपूर्ति माह अगस्त-2017 में की गयी।
3. इस प्रकार उक्त फर्म द्वारा 250 KVA वितरण परिवर्तकों की जो आपूर्ति माह दिसम्बर-2016 में करनी थी वह उन्होंने 04 माह उपरान्त माह अप्रैल-2017 में की। इसी प्रकार फर्म द्वारा 250 KVA वितरण परिवर्तकों की जो आपूर्ति माह फरवरी-2017 में करनी थी, वह आपूर्ति 04 से 09 माह उपरान्त अप्रैल-2017 से नवम्बर-2017 तक की। इसी प्रकार फर्म द्वारा 63 KVA वितरण परिवर्तकों (11 नग) की जो आपूर्ति माह दिसम्बर-2016 में करनी थी, वह आपूर्ति 08 माह उपरान्त माह अगस्त-2017 में की गयी।
4. उक्त फर्म द्वारा समय से क्रयादेश के अनुसार डिलीवरी शिद्यूल के अनुसार समय आपूर्ति करने में असमर्थ रहने पर उनके अनुरोध पत्र सं० MEI/KESCO-250KVA/3364 Dt. 23.03.2017, MEI/KESCO-250KVA/0092 Dt. 10.04.2017, MEI/KESCO-250KVA/297, Dt. 29.04.2017 एवं MEI/KESCO-250KVA/757 & 759 Dt. 07.06.2017 पर केशको प्रबन्धन द्वारा विचार कर अधिशाही अभियन्ता (मण्डल क्रय), केशको के पत्र सं० STP/(ET-17/IPDS/16-17)/AF-24/17-18/424, Dt. 25.07.2017 द्वारा डिलीवरी शिद्यूल का प्रथम संशोधन माह अक्टूबर-2017 तक समस्त सामग्री की आपूर्ति करने के साथ जारी किया गया, परन्तु फर्म संशोधित डिलीवरी शिद्यूल के अनुसार भी सामग्री की आपूर्ति नहीं कर सकी। फर्म द्वारा नवम्बर-2017 में समस्त सामग्री की आपूर्ति की गयी। मैसर्स मॉर्सन इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज, आगरा द्वारा पुनः सामग्री की वास्तविक आपूर्ति के अनुसार डिलीवरी शिद्यूल को पुनः संशोधित करने हेतु दिए गये अनुरोध के संदर्भ में केशको प्रबन्धन द्वारा पुनः सदभावनापूर्वक विचार कर वास्तविक सामग्री की डिलीवरी किए जाने के अनुसार डिलीवरी शिद्यूल का संशोधन अधिशाही अभियन्ता (मण्डल क्रय), केशको द्वारा पत्र सं० STP/(ET-17/IPDS/16-17)/AF-24/18-19/304, Dt. 21.06.2018 से जारी किया गया।

प्रलेखनीय है कि इसके अतिरिक्त मैसर्स मॉर्सन इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०, आगरा द्वारा क्रयादेश सं० GMJ-304/AF-25 दिनांक 04.10.2016 एवं क्रयादेश सं० GMJ-304/AF-24 दिनांक 04.10.2016 के विरुद्ध आपूर्ति क्रमशः 400 KVA एवं 250 KVA के वितरण परिवर्तकों में से गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त हुए परिवर्तकों को भी उठाने हेतु लगातार पत्राचारों के उपरान्त मरम्मत हेतु परिवर्तकों को विक्रेता द्वारा उठाया प्रारम्भ किया गया। माह अगस्त-2019 तक 400 KVA के 13 नग एवं 250 KVA के 04 नग गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त वितरण परिवर्तक मण्डल में रखे थे, जिनमें से 400 KVA के 08 नग परिवर्तकों को फर्म द्वारा मरम्मत हेतु दिनांक 27.08.2019 को उठाया गया। रोब के परिवर्तक अभी भी मण्डल गृह में बसे हैं। उक्त फर्म द्वारा माह मई-2017 से माह मई-2018 तक कुल 600 नग 11/0.43 KV 400 KVA के वितरण परिवर्तकों की आपूर्ति IPDS योजना के अन्तर्गत की गयी, जिनको केशको के अन्तर्गत स्थापित कर दिया गया। माह अगस्त-2019 तक क्रयादेश सं० GMJ-304/AF-25 दिनांक 04.10.2016 के विरुद्ध 600 नग 400 KVA वितरण परिवर्तकों में से 38 नग परिवर्तक क्षतिग्रस्त हो चुके थे, जिसके अनुसार क्षतिग्रस्तता की दर 6.33 प्रतिशत है एवं वर्तमान में माह सितम्बर-2019 तक 600 नग 400 KVA वितरण परिवर्तकों में से 43 नग परिवर्तक क्षतिग्रस्त हो चुके थे, जिसके अनुसार क्षतिग्रस्तता की दर 7.17 प्रतिशत है जो कि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पत्रांक 1652-रेस्रो/सीभाग्य/क्यालिटी सेल दिनांक 25.05.2019 के अनुक्रम में वितरण निगमों में क्रय की जा रही सामग्री/उपकरणों तथा कार्यों की गुणवत्ता

के अनुबन्ध हेतु केस्को के कार्यालय द्वारा सं० 408/पी०ए०टी०/केस्को/2019-20 दिनांक 20.06.2019 द्वारा यदित क्वालिटी सेल एवं जारी निर्देशों के अनुसार वितरण परिवर्तकों के संदर्भ में गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त होने की निर्धारित अधिकतम दर 05 प्रतिशत से अधिक है। उक्त फर्म द्वारा आपूर्ति 11/0.43 KV 400 KVA वितरण परिवर्तकों की गारण्टी अवधि में यह क्षतिग्रस्तता दर मात्र 02 वर्ष के अन्दर ही है, जबकि वितरण परिवर्तकों की गारण्टी अवधि स्थापना के दिनांक से 03 वर्ष तथा आपूर्ति के दिनांक से 5.5 वर्ष (जो भी पहले हो) है।


अधिराषी अभियन्ता (मण्डार क्रय) द्वारा उक्त आरोपों के क्रम में उक्त फर्म को पत्रांक 544/एस०टी०पी०/19-20 दिनांक 20.08.2019 कारण बताओं नोटिस मंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया, जिसके द्वारा 07 दिन के अन्तर्गत पावर परिवर्तक सं० MEA100918 & MEA100919 का अन्तिम निरीक्षण दिए गये निर्देशों के अनुरूप कराने के साथ ही मण्डार गृह में रखे गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त वितरण परिवर्तकों को मरम्मत हेतु उठाने का अनुरोध किया गया। अन्यथा की स्थिति में अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन, समय से पावर परिवर्तकों की आपूर्ति न करने, मानकों के अनुरूप सामग्री के निरीक्षण में यथोचित सहयोग न करने, IPDS योजना के कार्यों को बाधित करने एवं केस्को की छवि धूमिल करने का दोषी मानते हुए उक्त फर्म को केस्को के अन्तर्गत व्यापार निषेध करने हेतु काली सूची में डालने की कार्यवाही कर दी जाएगी, जिसके लिए उक्त फर्म पूर्णरूप से जिम्मेदार होगी। उक्त कारण बताओं नोटिस का प्राप्त होने के उपरान्त उक्त फर्म द्वारा उपरोक्त पावर परिवर्तकों का निरीक्षण नहीं कराते हुए, साथ ही केस्को मण्डार गृह में रखे हुए गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त वितरण परिवर्तकों को मरम्मत हेतु नहीं उठाया गया तथा उक्त फर्म द्वारा पत्र सं० MEI/KESCO-10 MVA/1206 दिनांक 26.08.2019 को उक्त कारण बताओं नोटिस का काल्पनिक जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसका पैसावाइज अवलोकन निम्नवत् है -

"Please refer to your letter no. 544/STP/19-20 dated 20.08.2019. We submit our reply as under:

In regard to the first page of your letter, we wish to inform that we have so far supplied 16 nos. 10 MVA Power Transformers and upon receipt of your letter no. STP/2019-20/255 dated 17.05.2019 wherein we have been advised to complete the balance supply of transformers for the works under IPDS scheme within 15 days. Accordingly, we have offered 02 nos. 10 MVA transformer serial nos. MEA100918 & MEA100919 for your final inspection vide our letter no. MEI/KESCO/10 MVA/397 dated 16.05.2019 and another 02 nos. transformers bearing serial nos. MEA10020 & 10021 for stage inspection vide our letter no. MEI/KESCO/10 MVA/445 dated 22.05.2019, which are still awaiting inspection from your side due to which these could not be supplied till date. This may kindly be taken on record."

केस्को का प्रतिउत्तर-

उपरोक्त पैरा में फर्म की कथन के संदर्भ में यह स्पष्ट करना है कि मार्च-2019 तक उक्त फर्म द्वारा मात्र 14 नग 33/11 KV 10 MVA पावर परिवर्तकों की आपूर्ति की गयी। फर्म द्वारा पत्र सं० MEI/KESCO/10 MVA/0054 दिनांक 06.04.2019 एवं पत्र सं० MEI/KESCO/10 MVA/0055 दिनांक 06.04.2019 के द्वारा 02 नग 33/11 KV 10 MVA पावर परिवर्तकों (MEA100918 & MEA100919) के स्टेज निरीक्षण एवं 02 नग 33/11 KV 10 MVA पावर परिवर्तकों (MEA100916 & MEA100917) के अन्तिम निरीक्षण हेतु अनुरोध करने पर जैसा कि पृष्ठ सं० 7 पर उल्लिखित है, अधिराषी अभियन्ता (मण्डार क्रय) कार्यालय के पत्र सं० STP/(ET-15/IPDS/16-17)/19-20/25 दिनांक 06.04.2019 द्वारा MA/S RECTPCL एवं श्री एस०के० सिंह, वैयक्तिक सहायक (वाणिज्य), केस्को को निरीक्षण हेतु नामित किया गया, जिसके संदर्भ में श्री मंजीव मिश्रा, प्रतिनिधि M/s RECTPCL एवं श्री एस०के० सिंह, वैयक्तिक सहायक (वाणिज्य), केस्को द्वारा दिनांक 24.04.2019 & 25.04.2019 को निरीक्षण किया


EXECUTIVE ENGINEER
State Purchase Office

RECTPCL/IPDS/KESCO/INSP/19-20/PTF/01, Dt. 02.05.2019 में गम्भीर खामियों अंकित की गयी थी जिसका विवरण निम्नवत् है -

A- Stage Inspection of 33/11 KV 10 MVA Power Transformer. (SI No. MEA100918 & MEA100919)

- While inspecting the Transformer tank, thickness of the Transformer tank wall could not be measured due to unavailability of measuring apparatus at Manufacturing's works.
- While inspecting the copper windings, it was observed that the Paper Insulation on the top portion was not smooth. This might be possible due to rubbing/removing of the top layer of paper insulation or due to putting on an additional layer of paper insulation on the portion. Considering this, chances of offering a previously inspected winding after erasing signature/markings of inspecting officers cannot be denied.
- In case, if the firm is not using the inspected windings during finalization of the transformer, a possibility of using low grade or less quantity of copper windings cannot be neglected.

B- Final Inspection of 33/11 KV 10 MVA Power Transformer: (SI No. MEA100916 & MEA100917)

- During physical inspection of transformer, it was noticed that the OLTC size & make was not as per KESCO's approved Drawing and submitted Type Test Reports of Power Transformer.

As per IPDS Technical Specification (Value-III, Sec-I) clause no. 8.1, it is mentioned "Transformer not manufactured as per Type-Tested design shall be rejected"

M/s RECTPCL द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या में 10 MVA 33/11 KV पावर परिवर्तकों (MEA100918 & MEA100919) के स्टेज निरीक्षण एवं 10 MVA 33/11 KV पावर परिवर्तकों (MEA100918 & MEA100919) के अन्तिम निरीक्षण के संदर्भ में ऊपर अंकित आपत्तियों (A) & (B) अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की आपत्तियाँ थीं, जिससे खम्बी की निम्न गुणवत्ता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता था, जिसके संदर्भ में अधिसाक्षी अभियन्ता (मण्डार क्रय) कार्यालय द्वारा उक्त फर्म को पत्र सं० एस०डी०पी०/2019-20/219 दिनांक 15.05.2019 द्वारा सूचित कर स्पष्टीकरण मांगा गया। उक्त फर्म के प्रतिउत्तर एवं M/s RECTPCL से किए गये प्रश्नोत्तर के उपरान्त उक्त दोनों 10 MVA 33/11 KV पावर परिवर्तकों (MEA100918 & MEA100919) के अन्तिम निरीक्षण हेतु पत्रांक STP/(ET-15/IPDS/16-17)/19-20/349 दिनांक 20.06.2019 द्वारा M/s RECTPCL के प्रतिनिधि एवं श्री महेश लाल, अधिसाक्षी अभियन्ता (मुख्यालय) केंसको को संयुक्त रूप से नामित किए जाने के बावजूद आज तक फर्म द्वारा उक्त 02 नम 10 MVA 33/11 KV पावर परिवर्तकों (MEA100918 & MEA100919) का अन्तिम निरीक्षण नहीं कराया गया। जिससे यह विदित होता है कि उक्त फर्म द्वारा उक्त परिवर्तकों की गुणवत्ता अनोमानक थी तथा उक्त फर्म उपरोक्त पावर परिवर्तकों (MEA100918 & MEA100919) की आपूर्ति करने की इच्छुक नहीं थी।

इसी प्रकार 10 MVA 33/11 KV पावर परिवर्तकों (MEA100916 & MEA100917) के अन्तिम निरीक्षण की आपत्तियों के अनुसार उक्त फर्म द्वारा अनुमोदित ज़े०डी०पी० से भिन्न मेक का OLTC, 10 MVA 33/11 KV पावर परिवर्तक (SI No. MEA100916 & MEA100917) में लगाया जाना एक गम्भीर अनियमितता थी। इस सम्बन्ध में उक्त फर्म को केंसको से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक थी, परन्तु बिना पूर्वानुमति के अन्य मेक का OLTC लगाया जाना फर्म के गत कार्य पद्धति को दर्शाता है। फिर भी फर्म के अनुरोध पर सम्भावनापूर्ण विचार करते हुए पावर परिवर्तकों के निर्माण हो जाने तथा अन्य मेक के OLTC के मानकों पर प्रायः करने के उपरान्त अधिसाक्षी अभियन्ता (मण्डार क्रय) कार्यालय द्वारा अन्य मेक के OLTC की इच्छा को जतिय

निरीक्षणोपरान्त अनुमोदित किया गया, जिसके उपरान्त फर्म द्वारा उक्त दोनों 10 MVA 33/11 KV पावर परिवर्तकों (MEA100916 & MEA100917) की आपूर्ति माह मई-2019 में की गयी।


उक्त से यह स्पष्ट है कि मैसर्स मॉसन्स इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज, आगरा द्वारा आई०पी०डी०एस० योजना के समाप्त होने की अन्तिम तिथि दिनांक 31.03.2019 तक कुल 20 नग 33/11 KV 10 MVA पावर परिवर्तकों की आपूर्ति करने के क्रयादेश के सापेक्ष मात्र 14 नग 33/11 KV 10 MVA पावर परिवर्तकों की आपूर्ति की गयी। माह मार्च-2019 व्यतीत होने के उपरान्त उक्त फर्म द्वारा 02 नग 33/11 KV 10 MVA पावर परिवर्तकों का स्टेज निरीक्षण एवं 03 नग 33/11 KV 10 MVA पावर परिवर्तकों का अन्तिम निरीक्षण का प्रस्ताव अप्रैल-2019 में दिया गया, जिस पर केंस्को ने सदभावनापूर्वक कार्यवाही करते हुए निरीक्षण कराने की कार्यवाही की, परन्तु उक्त फर्म द्वारा इसे केंस्को की कमजोरी मानकर उक्त पावर परिवर्तकों के निर्माण में अधोमानक एवं अनुमोदित "जी०टी०पी०" से भिन्न सामग्रियों/उपकरणों का प्रयोग किया जिसको कि उक्त 33/11 KV 10 MVA पावर परिवर्तकों के स्टेज एवं अन्तिम निरीक्षण के दौरान पकड़ा गया, जिसमें से केंस्को ने 10 MVA क्षमता के पावर परिवर्तकों की आवश्यक किटों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से अन्तिम निरीक्षण में प्राय: "जी०टी०पी०" से भिन्न मेक के OLTC के प्रयोग को फर्म के प्रति सदभावना प्रदर्शित करते हुए अनुमोदित किया एवं आपूर्ति प्राप्त की। इसी प्रकार 02 नग 33/11 KV 10 MVA पावर परिवर्तकों के स्टेज निरीक्षण में निरीक्षणकर्ताओं द्वारा की गयी आपत्तियों के संदर्भ में मानकों के अनुसार ही निर्माण में प्रयोग की हुयी सामग्रियों की जांच करने के निर्देश के साथ अन्तिम निरीक्षण हेतु दिनांक 20.06.2019 को M/s RECTPCL एवं केंस्को प्रतिनिधि को अन्तिम निरीक्षण हेतु नामित किया गया, परन्तु फर्म द्वारा आज तक अन्तिम निरीक्षण नहीं कराया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त फर्म द्वारा अधोमानक सामग्रियों के प्रयोग से ही पावर परिवर्तकों का निर्माण किया गया है।

अतः उक्तानुसार फर्म का उक्त पैरा में दिया गया कथन पूर्णतः असत्य एवं तथ्यहीन है।

फर्म के पत्र सं० MEI/KESCO-10MVA/1206 दिनांक 26.08.2019 का द्वितीय पैरा:

"From your aforesaid letter, we understand for the first time-rather it was a news for us that you have short closed works under IPDS scheme on 31.03.2019. We are not aware as to why and how you short closed it while other UP Discoms like MVVNL, Lucknow are still buying transformers under IPDS scheme. Supplies could not be made before 31.03.2019 due to huge outstanding payments for supplies made which Kesco did not pay timely, which lead to our inability to buy raw material, as a consequence of which production of transformers was severely jeopardized. It is all the more surprising that on the one hand you are informing now that the works under IPDS scheme were short closed on 31.03.2019, while on the other hand a reference is invited to your letter no.STP/2019-20/225 dated 17.05.2019 by which you have asked us to make supplies of balance transformers under IPDS scheme within 15 days at a time when as per information provided by you, the scheme stood short closed on 31.03.2019. However abiding by your instructions, we immediately offered balance transformers for inspection as mentioned in the previous para, which completed our contractual obligation. We may also draw your kind attention towards clause no.6 of your purchase order which states as under:

"In case the firm fails to supply of first/second/third lot of material within time, then Kesco may initiate the action to divert the quantity of next lot to other eligible firm/firms"


EXECUTIVE ENGINEER
Store Purchase Office
KESCO, KANPUR

निर्माणकार्य अनुमोदित किया गया, जिसके उपरान्त फर्म द्वारा उक्त दोनों 10 MVA 33/11 KV पावर परिवर्तकों (MEA100916 & MEA100917) की आपूर्ति माह मार्च-2019 में की गयी।

उक्त से यह स्पष्ट है कि मैसर्स मोर्सन इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज, आगरा द्वारा आई०पी०डी०एस० योजना के समाप्त होने की अन्तिम तिथि दिनांक 31.03.2019 तक कुल 20 नग 33/11 KV 10 MVA पावर परिवर्तकों की आपूर्ति करने के क्रयादेश के सापेक्ष मात्र 14 नग 33/11 KV 10 MVA पावर परिवर्तकों की आपूर्ति की गयी। माह मार्च-2019 अतीत होने के उपरान्त उक्त फर्म द्वारा 02 नग 33/11 KV 10 MVA पावर परिवर्तकों का स्टेज निरीक्षण एवं 02 नग 33/11 KV 10 MVA पावर परिवर्तकों का अन्तिम निरीक्षण का प्रस्ताव अप्रैल-2019 में दिया गया, जिस पर केस्को ने सद्भावनापूर्वक कार्यवाही करते हुए निरीक्षण कराने की कार्यवाही की, परन्तु उक्त फर्म द्वारा इसे केस्को की कमजोरी मानकर उक्त पावर परिवर्तकों के निर्माण में अधोमानक एवं अनुमोदित "जी०टी०पी०" से भिन्न सामग्रियों/उपकरणों का प्रयोग किया जिसको कि उक्त 33/11 KV 10 MVA पावर परिवर्तकों के स्टेज एवं अन्तिम निरीक्षण के दौरान पकड़ा गया, जिसमें से केस्को ने 10 MVA क्षमता के पावर परिवर्तकों की आवश्यक किटी की व्यवस्था करने के उद्देश्य से अन्तिम निरीक्षण में पाए गये, "जी०टी०पी०" से भिन्न मेक के OLTC के प्रयोग को फर्म के प्रति सद्भावना प्रदर्शित करते हुए अनुमोदित किया एवं आपूर्ति प्राप्त की। इसी प्रकार 02 नग 33/11 KV 10 MVA पावर परिवर्तकों के स्टेज निरीक्षण में निरीक्षणकर्ताओं द्वारा की गयी आपत्तियों के संदर्भ में मानकों के अनुसार ही निर्माण में प्रयोग की गयी सामग्रियों की जांच करने के निर्देश के साथ अन्तिम निरीक्षण हेतु दिनांक 20.06.2019 को M/s RECTPCL एवं केस्को प्रतिनिधि को अन्तिम निरीक्षण हेतु नामित किया गया, परन्तु फर्म द्वारा आज तक अन्तिम निरीक्षण नहीं कराया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त फर्म द्वारा अधोमानक सामग्रियों के प्रयोग से ही पावर परिवर्तकों का निर्माण किया गया है।

अतः उक्तानुसार फर्म का उक्त पैरा में दिया गया कथन पूर्णतः असत्य एवं सत्यहीन है।

फर्म के पत्र सं० MEI/KESCO-10MVA/1206 दिनांक 26.08.2019 का द्वितीय पैरा:

"From your aforesaid letter, we understand for the first time rather it was a news for us that you have short closed works under IPDS scheme on 31.03.2019. We are not aware as to why and how you short closed it while other UP Discoms like MVVNL, Lucknow are still buying transformers under IPDS scheme. Supplies could not be made before 31.03.2019 due to huge outstanding payments for supplies made which Kesco did not pay timely, which lead to our inability to buy raw material, as a consequence of which production of transformers was severely jeopardized. It is all the more surprising that on the one hand you are informing now that the works under IPDS scheme were short closed on 31.03.2019, while on the other hand a reference is invited to your letter no.STP/2019-20/225 dated 17.05.2019 by which you have asked us to make supplies of balance transformers under IPDS scheme within 15 days at a time when as per information provided by you, the scheme stood short closed on 31.03.2019. However abiding by your instructions, we immediately offered balance transformers for inspection as mentioned in the previous para, which completed our contractual obligation. We may also draw your kind attention towards clause no.6 of your purchase order which states as under :

"In case the firm fails to supply of first/second/third lot of material within time, then Kesco may initiate the action to divert the quantity of next lot to other eligible firm/firms"

EXECUTIVE ENGINEER
Stores Purchase Office
KESCO, KANPUR

In view of above, the onus of short Closer of works under IPDS scheme on 31.03.2019 squarely lies on KESCO, because if you were not getting supplies due to whatsoever reasons from us, you could have always executed the option of diverting the unsupplied quantity to some other eligible firm/firms."

केस्को का प्रतिउत्तर-

मेसर्स मॉसन्स इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज प्रा०लि० आगरा द्वारा उक्त पैरा में यह कहना कि केस्को के अर्न्तगत आई०पी०डी०एस० योजना का कार्य दिनांक 31.03.2019 तक समाप्त हो रहा है, इस तथ्य से भिन्न नहीं थे। अधिशाही अभियन्ता (मण्डार) कार्यालय द्वारा पत्र सं० 91/मण्डार/AF-29/2018-19 दिनांक 05.02.2019 (पत्र संलग्न) द्वारा उक्त फर्म को इस तथ्य "केस्को के अर्न्तगत आई०पी०डी०एस० योजना का कार्य मार्च-2019 तक पूर्ण किया जाना है", से अवगत कराया गया था। साथ ही यह भी स्पष्ट करना है कि क्रयादेश सं० GMJ-304/AF-29 दिनांक 04.10.2016 के अर्न्तगत समस्त 33/11 KV 10 MVA पावर परिवर्तकों की आपूर्ति की अन्तिम विस्तारित आपूर्ति तिथि 31.07.2018 थी। सामग्री आपूर्ति करने की इस अन्तिम आपूर्ति तिथि से उक्त फर्म मलीमाति भिन्न थी। फिर भी उक्त फर्म द्वारा जुलाई-2018 के उपरान्त मार्च-2019 तक 09 माह में मात्र 04 नग 33/11 KV 10 MVA पावर परिवर्तकों की आपूर्ति की गयी। इससे पूर्व अन्तिम विस्तारित आपूर्ति तिथि 31.07.2018 तक कुल मात्रा 20 नग के सापेक्ष मात्र 10 नग 33/11 KV 10 MVA पावर परिवर्तकों की आपूर्ति की गयी। उक्त फर्म द्वारा अन्य वितरण कम्पनियों में अभी आई०पी०डी०एस० योजना के अर्न्तगत सामग्री की आपूर्ति की जा रही है, इस कथन/बहाने एवं उक्तानुसार यह स्पष्ट है कि फर्म कभी भी समय से सामग्री की आपूर्ति करने की इच्छुक नहीं रही।

उक्त फर्म द्वारा यह कथन कि केस्को द्वारा समय से उक्त फर्म का आपूर्ति के विरुद्ध भुगतान नहीं किया गया, पूर्णतः असत्य एवं तथ्यहीन है। भुगतान के सम्बन्ध में क्रयादेश सं० GMJ-304/AF-29 दिनांक 04.10.2016 के बिन्दु सं० 10, क्रयादेश सं० GMJ-304/AF-25 दिनांक 04.10.2016 के बिन्दु सं० 12 एवं क्रयादेश सं० GMJ-304/AF-24 दिनांक 04.10.2016 के बिन्दु सं० 12 के अनुसार सभी भुगतान भारतीय मुद्रा में चेक अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से R.E.C./P.F.C. द्वारा कण्ड जारी किए जाने के उपरान्त किया जाना था। इस तथ्य से उक्त फर्म मली-माति भिन्न थी। आई०पी०डी०एस० योजना के लिए वित्त की व्यवस्था पावर फाइनेन्स कारपोरेशन द्वारा ऋण के माध्यम से की जानी थी, जब भी केस्को को भारत सरकार से वित्त की प्राप्ति हुयी, तब ही आई०पी०डी०एस० योजना के अर्न्तगत समस्त आपूर्तिकर्ताओं एवं कार्यदायी संस्थाओं को तत्काल भुगतान किया गया, जिसमें उक्त फर्म को भी भुगतान किया गया। 33/11 KV 10 MVA पावर परिवर्तकों के भुगतान में देरी के मूल कारण के संदर्भ में स्पष्ट करना है कि ई-निविदा सं० 15/IPDS/16-17 के तकनीकी विशिष्टीकरण के बिन्दु सं० 7 में टाइप टेस्ट के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था है -

Type Test -

- i) The firm should have type test report of offered 10 MVA Power Transformer as per technical specification of present, bid issued from CPRI or NABL Accredited Laboratory in India during the last 5 year' periods from the date of opening of present bid. The firm shall also valid during the currency of the contract.
- ii) The firm not having type as at serial no. (i) above but having type test report of 5 MVA Power transformer or of higher rating transformer as per relevant IS and or any other specified international standard issued from CPRI or NABL Acceleratory

Laboratory, shall be also considered as eligible bidders for opening their price bid with the condition that they shall meet all other pre-qualifying requirements. However, such firm shall have to submit under taking in the bid to submit type test report for offered designed of transformers as per technical specification of the present bid, issued form CPRI or NABL Acceleratory Laboratory with in maximum period 3 months from the date of issuance of LOI. Supply of transformers shall be accepted only after submission of valid type test report by the such firms. However, any delay in submission of valid type test report shall not form any ground for extension in delivery period and KESCO shall have right to the cancel the order and take punishable action against such firms.

केस्को क्रयादेश सं० जी०एम०जे०-304/ए०एम०-29 दिनांक 04.10.2016 के बिन्दु सं० 11 में टाइप टेस्ट के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था है - The above Transformer should be type tested by ERDA Vadodara/CPRI Bangalore as per approved GTP.

टाइप टेस्ट के संदर्भ में उक्त फर्म द्वारा निविदा प्रपत्रों में निविदा की शर्तों के अनुसार 33/11 KV 10 MVA पावर परिवर्तक की टाइप टेस्ट आख्या उपलब्ध न होने के कारण टाइप टेस्ट कराकर आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षित किया जा रही थी, जिसके संदर्भ में निविदा की शर्तों के अनुरूप उक्त फर्म द्वारा दिनांक 04.10.2016 को क्रयादेश जारी होने के 03 माह व्यतीत होने के उपरान्त भी आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी।

केस्को द्वारा पत्राचार करने पर उक्त फर्म द्वारा 33/11 KV 10 MVA पावर परिवर्तक के पायलट सैम्पल को टाइप टेस्ट हेतु सी०पी०आर०आई०, सी०पी०एन० नेशनल टेस्ट हाउस (सतरी क्षेत्र), गाजियाबाद प्रेषित किया गया। जिसके संदर्भ में उक्त फर्म ने सी०पी०आर०आई०, सी०पी०एन० द्वारा जारी टेस्ट रिपोर्ट सं० 2017/STN-1/448, Dt 13.09.2017 एवं नेशनल टेस्ट हाउस (सतरी क्षेत्र), गाजियाबाद द्वारा जारी टेस्ट रिपोर्ट सं० NTH(NR)EL(HV)/2017/00121, Dt 05.10.2017 टाइप टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिनको M/s RECTECL जो कि भारत सरकार द्वारा आई०पी०डी०एस० योजना के अन्तर्गत आपूर्ति सामग्री के निरीक्षण हेतु नोडल नियुक्त किए गये हैं, के द्वारा अवलोकन करने पर यह पाया गया कि मैसर्स मॉर्टन इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, आगरा द्वारा केस्को की ई-निविदा के विशिष्टीकरण के संदर्भ में डिजायन कर टाइप टेस्ट हेतु भेजे गये 10 MVA पायलट पावर परिवर्तक की डिजायन में त्रुटि थी। उनके अवलोकन के अनुसार पावर परिवर्तक के कोर एवं वाइलिंग एसेम्बली के वजन से 12.54 प्रतिशत की कमी थी, जो कि ± 10 प्रतिशत की मानक सीमा से अधिक थी। फर्म द्वारा टाइप टेस्ट हेतु प्रेषित डिजायन पायलट पावर परिवर्तक में निविदा की आवश्यकताओं के विपरीत with on load tap changer के स्थान पर with off load tap changer पाया गया। इस प्रकार फर्म द्वारा अधोमानक सामग्री का टाइप टेस्ट प्रस्तुत कर जानबूझकर केस्को को गुमराह करने की कोशिश की गयी।

अधिसापी अधिन्यास (अपेक्षा क्रम), केस्को ने पत्र सं० STP/ET-15/IPDS/16-17/17-18/444 दिनांक 28.07.2017 द्वारा Q2 नग 33/11 KV 10 MVA पावर परिवर्तक सं० MEA100904 & MEA100905 की डी०आई० जारी करते समय उक्त फर्म को यह स्पष्ट कर दिया था कि पावर परिवर्तकों की आपूर्ति इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार की जा रही है कि उक्त फर्म द्वारा ई-निविदा सं० 15/IPDS/16-17 के विशिष्टीकरणों के अनुसार टाइप टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरान्त ही बुगतान किए जाएंगे। इसी प्रतिबंध के अनुसार ही उक्त फर्म द्वारा निर्मित 04 नग 33/11 KV 10 MVA पावर परिवर्तकों (MEA100902, MEA100903,

MEA100904 & MEA100905) की आपूर्ति को आईपीडीएस योजना की कार्यो में विलम्ब न हो के दृष्टिगत स्वीकार किया गया एवं भुगतान रीका गया। इसके अतिरिक्त अधिशाही अभियन्ता (बन्दार क्रय) कार्यालय के पत्र सं० एस०टी०पी०/17-18/1514 दिनांक 25.01.2018 द्वारा आईपीडीएस योजना के क्रियान्वयन में हो रहे विलम्ब एवं 10 MVA पावर परिवर्तकों की अतिआवश्यकता के दृष्टिगत उक्त फर्म द्वारा पुनः तैयार किए गये 04 नग पावर परिवर्तकों (MEA100906, MEA100907, MEA100908 & MEA100909) को इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकार किया कि आर०ई०सी० एवं क०स्को के संयुक्त प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण किए गये, पावर परिवर्तकों में से पावर परिवर्तक क्रमांक MEA100906 को पुनः टाइप टेस्ट हेतु सी०पी०आर०आई०, मोपाल को प्रेषित किया जाए तथा टाइप टेस्ट की छात्र्या के अनुसार ही भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जाए। फर्म द्वारा माह अप्रैल-2018 में सी०पी०आर०आई०, मोपाल द्वारा जारी टाइप टेस्ट रिपोर्ट सं० CPRINDAHV1819T0004, Dt. 03.04.2018 & 2018/STN-1/175, Dt. 01.04.2018 प्रस्तुत की गयी, जिसके M/s REGTPCL द्वारा ई-निविदा के विशिष्टीकरण के अनुरूप पाए जाने पर माह जून-2018 से अगस्त-2018 तक उक्त 08 नग पावर परिवर्तकों के साथ माह जून-2018 में प्राप्त 02 नग पावर परिवर्तकों के साथ कुल 10 नग पावर परिवर्तकों का भुगतान वित्त की उपलब्धता के आधार पर फर्म को किया गया।

उक्त वर्णित स्थितियों से यह स्पष्ट है कि फर्म द्वारा क्रयादेश प्राप्त होने के समय से ही सामग्री की समय से आपूर्ति करने में शिथिलता बरती गयी तथा फर्म द्वारा निविदा की शर्तों के अनुसार मानक रूपी डिजायन टाइप टेस्ट छात्र्या प्रस्तुत करने में लगभग 01 वर्ष से अधिक की देरी की गयी। मैसर्स मोर्सन्स इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज प्रा०लि०, आगरा के उक्त व्यवहार से यह स्पष्ट है कि उन्होंने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी आईपीडीएस योजना को गम्भीरता से न लेकर सदैव गुमराह कर एवं बार्गेनिंग/Blackmailing की स्थिति को पैदा कर क०स्को को असहज स्थिति में डाला तथा क०स्को ने क्रानुपर नगर की जनता के हितों को ध्यान में रखकर मैसर्स मोर्सन्स इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज प्रा०लि०, आगरा की घुष्टता को नजर अंदाज किया। इन्हीं कारणों से क०स्को द्वारा आईपीडीएस योजना के अन्तर्गत वित्त की उपलब्धता के अनुसार एवं टाइप टेस्ट रिपोर्ट मानकों के अनुसार प्राप्त जाने के उपरान्त आपूर्ति किए गये कुल 10 नग पावर परिवर्तकों का भुगतान क्रमशः माह जून-2018 एवं अगस्त-2018 में किया गया।

अतः उक्त फर्म का यह कथन "क०स्को द्वारा पावर परिवर्तकों की आपूर्ति के सापेक्ष समय से भुगतान नहीं किया गया", पूर्णतः असत्य एवं तथ्यहीन है।

फर्म द्वारा उक्त पैस में यह कथन कि क्रयादेश के Clause No. 06 के अनुसार यदि फर्म समय से सामग्री की आपूर्ति करने में असफल होती है तो क०स्को को सामग्री की मात्रा को Divert कर अन्य फर्म से प्राप्त कर लेना चाहिए था, अपने आप में उक्त फर्म द्वारा यह स्वीकार करना सिद्ध करता है कि उक्त फर्म प्रारम्भ से ही सामग्री की आपूर्ति समय से नहीं करना चाहती थी तथा उक्त फर्म यह भी चाहती थी कि उनके क्रयादेश की मात्रा को किसी अन्य फर्म से क०स्को द्वारा प्राप्त कर लिया जाए।

फर्म के पत्र सं० MEI/KESCO-10MVA/1206 दिनांक 26.08.2019 का अगला पैरा—

"Further we wish to add here that apart from the subject Purchase order for 10 MVA transformers two other orders for supply of 600 nos. 400 KVA, 270 nos 250 KVA and 11 nos 63 KVA were also placed on us, the payment outstanding from Kesco for the supplies made at one time crossed Rs.25 Crores. The extension of delivery period of the transformers was done once by your letter no.STP/ET-15/IPDS/16-17/AF-29/17-18/423 Dated 25.07.2017 due to demonetization of high value currency notes by the Government of India on 08.11.2016 who also put weekly limits of cash drawl from the bank which severely affected

Page 15 of 27

EXECUTIVE ENGINEER
Store Purchase Office
KESCO, KANPUR.

hiring of labour and procurement of raw material for manufacture of transformers. For the second time delivery period was extended vide your letter no. STP/ET-15/16/AF-29/18-19/302 dated 21.06.2018 due to reasons huge outstanding payment which at one time crossed Rs.25 Crores for the transformers already supplied- which is on record with KESCO, but this time while delivery was extended the but the price variation which neutralizes the affect of increase/decrease of raw material that go into the manufacture of transformers was restricted by you to the lower of actual delivery, previous delivery schedule or amended delivery schedule, but because the prices of raw material were in an increasing trends this extension of delivery period put us to an enormous loss due to price increase of raw material that went into the manufacture of transformers. Under similar circumstances of inordinately delayed payments by Kesco after that also, a request was made for extension of delivery period, which has still not been done."

केस्को का प्रतिउत्तर-

उक्त पत्र में उक्त फर्म द्वारा यह कहना कि माह नवम्बर-2016 में नोट बन्दी के कारण नगद निकासी की सीमा लिमिटेड होमे के कारण मजदूरों को भुगतान करने में समस्या आ रही थी, जिसके कारण यथोचित मैनपावर को सामग्री के निर्माण में नहीं लगाया जा सका. इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट करना है कि भारत सरकार द्वारा चेक द्वारा भुगतान करने पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था। अतः उक्त फर्म के पास चेक द्वारा भुगतान कर यथोचित मैनपावर को कार्य हेतु लगाया जा सकता था।

फर्म द्वारा यह कहना कि उनके द्वारा आपूर्ति 10 MVA पावर परिवर्तक, 250 KVA, 400 KVA & 63 KVA वितरण परिवर्तकों की आपूर्ति के सापेक्ष लगभग 25 करोड़ रुपये का भुगतान लम्बित हो गया था, जिसके कारण उक्त फर्म सामग्री निर्माण करते में असमर्थ थी। इस संदर्भ में जैसा कि पूर्व में ही यह स्पष्ट किया गया है कि ऋयादेरा की भुगतान की राशि के अनुक्रम आई०पी०डी०एस० योजना के कार्यों के भुगतान भारत सरकार के उपक्रम R.E.C./P.F.C. द्वारा फण्ड रिलीज करने के उपरान्त ही किए जाएंगे। इस तथ्य से उक्त फर्म जलीमोति भिन्न थी। उक्त फर्म को जारी किए गये भुगतान एवं आपूर्ति अवधि विस्तारित करने का विवरण मुद्द सं० 04 पर इंगित है।

संदर्भित तालिकाओं से यह स्पष्ट है कि केस्को द्वारा उक्त फर्म द्वारा समय-समय पर मांगे गए आपूर्ति अवधि में विस्तारण वास्तविक आपूर्ति माहों के अनुसार किए गये हैं, जिससे उक्त फर्म पर निम्नविवरणानुसार ऋयादेरा के आपूर्ति, शिड्यूल से सामग्री आपूर्ति न करने पर लगने वाली पैनाल्टी (LD) रु० 4.42 करोड के स्थान पर मात्र रु० 26.55 लाख की ही पैनाल्टी लगी तथा लगभग रु० 4.15 करोड का उक्त फर्म को निम्नविवरणानुसार लाभ हुआ।

Sl No.	Order No. & Date	Material	Due Penalty against delivery schedule mentioned in PO Dt. 04.10.16 (in Rs.)	Imposed Penalty after providing delivery extension two times (in Rs.)	Benefit awarded through waiver of penalty (in Rs.)
1	2	3	4	5	6= (4-5)
1	GMU-304/AF-24, Dt. 04.10.16	250 KVA & 63 KVA Distribution transformer	7688021.93	56875.00	7631146.93
2	GMU-304/AF-25, Dt. 04.10.16	400 KVA Distribution transformer	29147275.90	301803.00	28845472.90

3	GMI-304/AF-28, DL-04.10.16	10 MVA Power Transformer	7374911.58	2256901.36	5078018.20
	Total		84218209.39	2855579.35	41954630.03

अतः उक्त फर्म का यह कथन कि उनको आपूर्ति अवधि में नोट बन्दी आदि समस्याओं एवं समय से भुगतान न मिल पाने के कारण विस्तारण नहीं दिया गया, पूर्णतः असत्य एवं तथ्यहीन है।

मैसर्स मॉर्सन्स इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज, आगरा को किए गये भुगतान का विवरण निम्नवत है -

(A) Detail Of payments Of M/s. Marson's Electrical Industries (AF-29 dt: 04.10.16) for 10 MVA Power TF

Sl. No.	Bill no.	Date	Gross	Penalty	GST @18%	TDS on GST	Net	Adv. no.	Paymt dt	Qty.
1	113	15.09.17	323097.00	0.00	0.00		323097.00			PV
2	026	29.07.17	5266422.00	0.00	0.00		5266422.00	CD618		1
3	029	29.07.17	5266422.00	0.00	0.00		5266422.00	10401	29.08.18	1
4	013	11.07.17	5054613.00	0.00	0.00		5054613.00	439		1
5	014	12.07.17	5054613.00	0.00	0.00		5054613.00			1
	Total		20965167.00	0.00	0.00		20965167.00			4
6	031	23.04.18	5054612.00	0.00	0.00		5054612.00			1
7	272	20.02.18	5054612.00	0.00	0.00		5054612.00	00818		1
8	273	21.02.18	5054612.00	0.00	0.00		5054612.00	09906	23.08.18	1
9	271	20.02.18	5054612.00	0.00	0.00		5054612.00	522		1
	Total		20218448.00	0.00	0.00		20218448.00			4
10	097	19.06.18	5517234.00	0.00	0.00		5517234.00	00818		1
11	107	27.06.18	5517234.00	0.00	0.00		5517234.00	09906	23.08.18	1
	Total		11034468.00	0.00	0.00		11034468.00	522		2

Sl. No.	Bill no.	Date	Gross	Penalty	GST @18%	TDS on GST	Net	Adv. no.	Paymt dt	Qty.
12	017	20.07.18	304280.00	0.00	0.00		304280.00			
13	018	20.07.18	304280.00	0.00	0.00		304280.00	C1218		
14	019	20.07.18	304280.00	0.00	0.00		304280.00	06759	15.12.18	PV Bills
15	020	20.07.18	304280.00	0.00	0.00		304280.00	796		
	Total		1217120.00	0.00	0.00		1217120.00			
16	170	29.09.18	5054613.00	192761.09	34698.00	85672.00	4781482.00			1
17	171	29.09.18	5054613.00	192761.09	34698.00	85672.00	4781482.00	00319		1
18	347	22.02.19	5611664.00	475565.00	85602.00	95114.00	4953883.00	34555	20.08.19	1
19	367	02.03.19	5611664.00	475565.00	85602.00	95114.00	4953883.00	737		1
	Total		21332354.00	1336652.00	240600.00	361572.00	19393730.00			4
20	071	21.05.19	5611664.00	475565.00	85602.00	95114.00	4953883.00	00719		1
21	072	21.05.19	5719278.00	484685.00	87244.00	96938.00	5050411.00	06879	11.07.19	1
	Total		11330942.00	960250.00	172846.00	192052.00	10005794.00	726		2
22	25	23.10.18	462622.00	17642.00	3176.00	7842.00	438962.00	00818		PV
23	24	23.10.18	462622.00	17642.00	3176.00	7842.00	438962.00	19049	29.08.19	PV
	Total		925244.00	35284.00	6352.00	15684.00	867924.00	188		0

Grand Total	₹7023943.00	2332186.00	419798.00	569308.00	₹3702651.00			
-------------	-------------	------------	-----------	-----------	-------------	--	--	--

(B) Detail Of payments Of M/s Marson's Electrical Industries (AF-25 dt: 04.10.16) for 400 KVA D.T.

Sl. No.	Bill no.	Date	Amount	Penalty	GST @18%	Net Amount	Chq no.	Paymt dt	Qty.
1	60	27.05.17	4090738.00	0.00		4090738.00	988374	08.09.17	8
2	59	27.05.17	7158795.00	0.00		7158795.00			14
3	57	27.05.17	7158795.00	0.00		7158795.00			14
4	58	27.05.17	7158795.00	0.00		7158795.00			14
Total			25567123.00	0.00	0.00	25567123.00			30
5	092	24.06.17	4090738.00	0.00		4090738.00	988377	14.09.17	8
6	093	24.06.17	4090738.00	0.00		4090738.00			8
7	095	24.06.17	4090738.00	0.00		4090738.00			8
8	094	24.06.17	4090738.00	0.00		4090738.00			8
9	096	24.06.17	4090738.00	0.00		4090738.00			8
10	102	26.06.17	4090738.00	0.00		4090738.00			8
11	101	26.06.17	4090738.00	0.00		4090738.00			8
Total			28635166.00	0.00	0.00	28635166.00			56
12	010	10.07.17	4094377.00	0.00		4094377.00	C0917149 70099	06.10.17	8
13	003	05.07.17	4094377.00	0.00		4094377.00			8
14	001	04.07.17	4094377.00	0.00		4094377.00			8
15	011	10.07.17	4094377.00	0.00		4094377.00			8
16	009	10.07.17	2047190.00	0.00		2047190.00			4
17	012	10.07.17	4094377.00	0.00		4094377.00			8
18	027	29.07.17	4268176.00	0.00		4268176.00			8
19	028	29.07.17	4268176.00	0.00		4268176.00			8
20	025	28.07.17	4268176.00	0.00		4268176.00			8
21	024	28.07.17	4268176.00	0.00		4268176.00			8
22	040	03.08.17	4268176.00	18085.00		4250091.00			8
23	042	04.08.17	1067044.00	4521.00		1062523.00			2
24	041	03.08.17	4268176.00	18085.00		4250091.00			8
Total			49195175.00	40691.00	0.00	48154484.00			
25	075	30.08.17	4343523.00	18405.00		4325118.00	C1017024 46394	13.10.17	8
26	076	30.08.17	4343523.00	18405.00		4325118.00			8
27	078	30.08.17	4343523.00	18405.00		4325118.00			8
28	077	30.08.17	4343523.00	18405.00		4325118.00			8
29	090	04.09.17	4343523.00	18405.00		4325118.00			8
30	087	04.09.17	4343523.00	18405.00		4325118.00			8
Total			30404661.00	128835.00	0.00	30275826.00			58
32	088	04.09.17	4343523.00	18405.00		4325118.00	988381	10.11.17	8
33	092	06.09.17	4343523.00	36810.00		4306713.00			8
34	093	06.09.17	4343523.00	36810.00		4306713.00			8
35	094	06.09.17	4343523.00	36810.00		4306713.00			8
36	098	06.09.17	3800582.00	32208.00		3768374.00			7
Total			21174874.00	161043.00	0.00	21013831.00			39
37	112PV	15.09.17	1994068.00	0.00		1994068.00	C1117006 15392	10.11.17	57, 58, 59, 60

EXECUTIVE ENGINEER
Stores Purchase Officer

38	111PV	15.09.17	1348376.00	0.00		1348376.00			92 to 96, 101, 102, 1, 9, 9, 10, 11, 12
Total			3342444.00	0.00	0.00	3342444.00			
39	176	29.11.17	4559589.00	193203.00	34777.00	4331609.00	CO618006 18524	07.06.18	8
40	181	02.12.17	4559589.00	193203.00	34777.00	4331609.00			8
41	186	04.12.17	4559589.00	193203.00	34777.00	4331609.00			8
42	185	04.12.17	4559589.00	193203.00	34777.00	4331609.00			8
43	175	29.11.17	4559589.00	234259.00	42167.00	4285163.00			8
44	174	29.11.17	4559589.00	173883.00	51296.00	4354407.00			8
45	178	02.12.17	4559589.00	193203.00	34777.00	4331609.00			8
46	182	02.12.17	4559589.00	193203.00	34777.00	4331609.00			8
47	177	29.11.17	4559589.00	193203.00	34777.00	4331609.00			8
48	179	02.12.17	4559589.00	193203.00	34777.00	4331609.00			8
Total			45595890.00	2953768.00	951682.00	43290442.00			80
49	254	01.02.18	4559589.00	0.00		4559589.00	CO818067 51886	18.08.18	8
50	255	01.02.18	4559589.00	0.00		4559589.00			8
51	256	01.02.18	5129539.00	983778.00		4145761.00			9
52	257	01.02.18	4559589.00	0.00		4559589.00			8
53	258	02.02.18	4559589.00	0.00		4559589.00			8
54	259	02.02.18	4559589.00	0.00		4559589.00			8
55	260	02.02.18	4559589.00	0.00		4559589.00			8
56	263	05.02.18	4559589.00	0.00		4559589.00			8
57	001	03.04.18	4559589.00	0.00		4559589.00			8
58	002	03.04.18	4611766.22	0.00		4611766.22			8
59	003	03.04.18	4629158.50	0.00		4629158.50			8
60	004	03.04.18	4629158.50	0.00		4629158.50			8
61	005	03.04.18	4629158.50	0.00		4629158.50			8
62	006	03.04.18	4629158.50	0.00		4629158.50			8
63	007	04.04.18	4629158.50	0.00		4629158.50			8
64	008	04.04.18	4629158.50	0.00		4629158.50			8
65	009	04.04.18	4629158.50	0.00		4629158.50			8
66	010	05.04.18	4629158.50	0.00		4629158.50			8
67	012	09.04.18	4629158.50	0.00		4629158.50			8
68	013	09.04.18	4629158.50	0.00		4629158.50			8
69	014	09.04.18	2314579.26	0.00		2314579.26			4
70	067	29.05.18	2322477.52	0.00		2322477.52			4
71	063	26.05.18	4644955.00	0.00		4644955.00			8
72	062	26.05.18	4644955.00	0.00		4644955.00			8
73	060	25.05.18	4644955.00	0.00		4644955.00			8
74	059	24.05.18	4644955.00	0.00		4644955.00			8
75	058	24.05.18	4644955.00	0.00		4644955.00			8
76	045	11.05.18	4644955.00	0.00		4644955.00			8
77	043	10.05.18	4644955.00	0.00		4644955.00	8		
Total			129661344.00	983778.00	0.00	128677566.00			225
78		15.11.18	0.00	-983778.00		983778.00	CO319345 55737	29.03.19	
Total			0.00	-983778.00	0.00	983778.00			

EXECUTIVE ENGINEER
Stores Purchase Office
KANPUR

38	111PV	15.09.17	1348376.00	0.00		1348376.00			92 to 96, 101, 102, 1, 3, 9, 10, 11, 12
Total			3342444.00	0.00	0.00	3342444.00			
39	176	29.11.17	4559589.00	193203.00	34777.00	4331609.00	CO613006 18524	07.06.18	8
40	181	02.12.17	4559589.00	193203.00	34777.00	4331609.00			8
41	186	04.12.17	4559589.00	193203.00	34777.00	4331609.00			8
42	185	04.12.17	4559589.00	193203.00	34777.00	4331609.00			8
43	175	29.11.17	4559589.00	234259.00	42167.00	4283163.00			8
44	174	28.11.17	4559589.00	173883.00	31299.00	4354407.00			8
45	178	02.12.17	4559589.00	193203.00	34777.00	4331609.00			8
46	182	02.12.17	4559589.00	193203.00	34777.00	4331609.00			8
47	177	29.11.17	4559589.00	193203.00	34777.00	4331609.00			8
48	179	02.12.17	4559589.00	193203.00	34777.00	4331609.00			8
Total			45595890.00	1953765.00	351682.00	43290442.00			80
49	254	01.02.18	4559589.00	0.00		4559589.00	CO816067 51896	12.08.18	8
50	255	01.02.18	4559589.00	0.00		4559589.00			8
51	256	01.02.18	5129539.00	983778.00		4145761.00			9
52	257	01.02.18	4559589.00	0.00		4559589.00			8
53	258	02.02.18	4559589.00	0.00		4559589.00			8
54	259	02.02.18	4559589.00	0.00		4559589.00			8
55	260	02.02.18	4559589.00	0.00		4559589.00			8
56	263	05.02.18	4559589.00	0.00		4559589.00			8
57	001	03.04.18	4559589.00	0.00		4559589.00			8
58	002	03.04.18	4611766.22	0.00		4611766.22			8
59	003	03.04.18	4629158.50	0.00		4629158.50			8
60	004	03.04.18	4629158.50	0.00		4629158.50			8
61	005	03.04.18	4629158.50	0.00		4629158.50			8
62	006	03.04.18	4629158.50	0.00		4629158.50			8
63	007	04.04.18	4629158.50	0.00		4629158.50			8
64	008	04.04.18	4629158.50	0.00		4629158.50			8
65	009	04.04.18	4629158.50	0.00		4629158.50			8
66	010	05.04.18	4629158.50	0.00		4629158.50			8
67	012	09.04.18	4629158.50	0.00		4629158.50			8
68	013	09.04.18	4629158.50	0.00		4629158.50			8
69	014	09.04.18	2314579.26	0.00		2314579.26			8
70	067	29.05.18	2322477.52	0.00		2322477.52			4
71	063	26.05.18	4644955.00	0.00		4644955.00			8
72	062	26.05.18	4644955.00	0.00		4644955.00			8
73	060	25.05.18	4644955.00	0.00		4644955.00			8
74	059	24.05.18	4644955.00	0.00		4644955.00			8
75	058	24.05.18	4644955.00	0.00		4644955.00			8
76	045	11.05.18	4644955.00	0.00		4644955.00			8
77	043	10.05.18	4644955.00	0.00		4644955.00	8		
Total			129661944.00	983778.00	0.00	128677566.00			223
78		15.11.18	0.00	-983778.00		983778.00	CO519345 53737	29.03.19	
Total			0.00	-983778.00	0.00	983778.00			


ACCOUNTING ENGINEER
 Store Purchase Office
 KANPLUR

79	040A	24.07.18	17865.00	0.00	0.00	17865.00			PV
80	041A	24.07.18	17865.00	0.00	0.00	17865.00			PV
81	042A	24.07.18	4466.00	0.00	0.00	4466.00			PV
82	075A	24.07.18	18185.00	0.00	0.00	18185.00			PV
83	076A	24.07.18	18185.00	0.00	0.00	18185.00			PV
84	077A	24.07.18	18185.00	0.00	0.00	18185.00			PV
85	078A	24.07.18	18185.00	0.00	0.00	18185.00			PV
86	087A	24.07.18	18185.00	0.00	0.00	18185.00			PV
87	088A	24.07.18	18185.00	0.00	0.00	18185.00			PV
88	089A	24.07.18	18185.00	0.00	0.00	18185.00			PV
89	090A	24.07.18	18185.00	0.00	0.00	18185.00			PV
90	092A	24.07.18	36370.00	0.00	0.00	36370.00			PV
91	093A	24.07.18	36370.00	0.00	0.00	36370.00	CD419062	25.04.19	PV
92	094A	24.07.18	36370.00	0.00	0.00	36370.00	49300		PV
93	098A	24.07.18	31823.00	0.00	0.00	31823.00			PV
94	174A	24.07.18	173883.00	0.00	0.00	173883.00			PV
95	175A	24.07.18	234259.00	0.00	0.00	234259.00			PV
96	176A	24.07.18	193203.00	0.00	0.00	193203.00			PV
97	177A	24.07.18	193203.00	0.00	0.00	193203.00			PV
98	178A	24.07.18	193203.00	0.00	0.00	193203.00			PV
99	179A	24.07.18	193203.00	0.00	0.00	193203.00			PV
100	181A	24.07.18	193203.00	0.00	0.00	193203.00			PV
101	182A	24.07.18	193203.00	0.00	0.00	193203.00			PV
102	185A	24.07.18	193203.00	0.00	0.00	193203.00			PV
103	186A	24.07.18	193203.00	0.00	0.00	193203.00			PV
Total			2280375.00	0.00	0.00	2280375.00			
Grand Total			335856852.00	2284335.00	351892.00	333220835.00			

(C) Detail Of payments Of M/s Marson's Electrical Industries (AF-24 dt: 04.10.16) for 250 KVA & 63 KVA D.T.

Sl. No.	Bill no.	Date	Amount	Penalty	GST @18%	Net Amount	Chq no.	Paymt dt	Qty.
1	15	17.04.17	3232644.00	0.00		3232644.00			10
2	16	17.04.17	3232644.00	0.00		3232644.00			10
3	17	17.04.17	3232644.00	0.00		3232644.00			10
4	19	19.04.17	3232644.00	0.00		3232644.00			10
5	20	19.04.17	3232644.00	0.00		3232644.00			10
6	65	31.05.17	3232644.00	0.00		3232644.00	988374	08.09.17	10
7	64	31.05.17	3232644.00	0.00		3232644.00			10
8	66	31.05.17	3232644.00	0.00		3232644.00			10
9	61	30.05.17	3232644.00	0.00		3232644.00			10
10	103	26.06.17	3232644.00	0.00		3232644.00			10
11	106	27.06.17	3232644.00	0.00		3232644.00			10

12	109	29.06.17	3232644.00	0.00		3232644.00		10
13	110	29.06.17	3232644.00	0.00		3232644.00		10
14	62	30.05.17	3232644.00	0.00		3232644.00		10
Total			48257016.00	0.00		48257016.00		140
15	002	04.07.17	3235560.00	0.00		3235560.00		10
15	005	06.07.17	3235560.00	0.00		3235560.00		10
17	007	08.07.17	3235560.00	0.00		3235560.00		10
18	006	08.07.17	3235560.00	0.00		3235560.00		10
19	004	05.07.17	3235560.00	0.00		3235560.00	988379	06.10.17
20	008	08.07.17	3235560.00	0.00		3235560.00		10
21	055	10.08.17	3372890.00	0.00		3372890.00		10
22	051	09.08.17	3372890.00	0.00		3372890.00		10
Total			26159140.00	0.00		26159140.00		80
23	052	09.08.17	3372890.00	0.00		3372890.00		10
24	039	03.08.17	3372890.00	0.00		3372890.00	C0917150 54689	09.10.17
25	038	03.08.17	3372890.00	0.00		3372890.00		10
Total			10118670.00	0.00		10118670.00		30
26	108PV	15.09.17	1075578.00	0.00		1075578.00		Inv. 15, 18, 17, 19 & 20
27	110PV	15.09.17	1260536.00	0.00		1260536.00	988381	10.11.17 Inv. 103, 106, 109, 110, 2, 4, 5, 6, 7, 8
Total			2336114.00	0.00		2336114.00		
28	109PV	15.09.17	852366.00	0.00		852366.00	988381	10.11.17 51, 52, 64, 65 & 66
Total			852366.00	0.00		852366.00		
29	068	28.08.17	983778.00	20843.00		962935.00	988386	14.12.17 11 (63KVA)
Total			983778.00	20843.00		962935.00		11
30	173	29.11.17	3503159.00	76338.00	13742.00	3513079.00	C0618104 01439	29.06.18
31	172	29.11.17	3603159.00	76338.00	13742.00	3613079.00		10
Total			7206318.00	152676.00	27484.00	7026158.00		20
32	172A	24.07.18	68821.00	0.00	0.00	68821.00	C0419062 49300	25.04.19
33	173A	24.07.18	68821.00	0.00	0.00	68821.00		
Total			137642.00	0.00	0.00	137642.00		0
Grand Total			92067266.00	152676.00	27484.00	91887106.00		


Store Purchase Officer
 VED/3 KANPUR


फर्म के पत्र सं० MEI/KESCO-10MVA/11KV दिनांक 16.08.2019 का जगला पैरा:

"In regard to your contention contained in your letter no. 219/STP/20 19-20 dated 16.05.2019 wherein you have referred to a Report no. RECTPL/IPDS/KESCO /INSP/19-20/PTF/01 dated 02.05.2019 of RECTPL regarding Stage Inspection of 02 nos 10 MVA Power transformers (Serial nos MEA100918 & MEA100919, we wish to inform that Stage Inspection of these 02 nos transformers was Jointly conducted successfully on 25.04.2019 by Er. SK Singh of Kesco and Er Manjit Mishra of RECTPL, New Delhi after which they jointly signed a clear Stage Inspection Report dated 25.04.2019. This report is the only document to be relied upon for having conducted successful stage inspection, and the subsequent final inspection on the stage inspected transformers needs necessarily to be done based on it as per the prevailing practice in inspections and not any other document to which no one is a witness and having prepared 07 days after actual inspection, which can only be taken as an after thought, imaginative, biased and seems to be issued with ulterior motives. We do not know on whose behalf such a report has been given, which is even not known to the Kesco Joint Inspector Mr. SK Singh who was one of the joint signatories of the stage inspection report dated 25.04.2019. We are therefore awaiting for you to send the inspecting officers for these inspections to conduct final inspection on the basis of successful stage inspection report/contract terms and no other extraneous document. We have all the good intentions to supply the transformers which we are unable to do for want of inspection from your end. Please send your inspectors to conduct inspection as mentioned above.

As regards your comments at the last para of page.no.2 of your letter that we had committed a grave error in using OLTC in Transformer Serial nos MEA100916 & MEA100917 of some other make than as mentioned in the approved GTP, we wish to inform that no error of any sort occurred at our end, as the OLTC used in the transformers was of DLG make which stands approved in the GTP."

केस्को का प्रतिउत्तर—

उक्त पैरा के संदर्भ में यह स्पष्ट करना है कि M/s RECTPL द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या में 10 MVA 33/11 KV पावर परिवर्तकों (MEA100918 & MEA100919) के स्टैज निरीक्षण एवं 10 MVA 33/11 KV पावर परिवर्तकों (MEA100916 & MEA100917) के अंतिम निरीक्षण के संदर्भ में ऊपर अंकित आपत्तियाँ (पृष्ठ सं० 7 एवं 11 - A & B) अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की आपत्तियाँ थी, जिससे सामग्री की निम्न गुणवत्ता की सम्पादन से इनकार नहीं किया जा सकता था, जिसके संदर्भ में अधिशाही अभियन्ता (मण्डल कार्यालय) द्वारा उक्त फर्म को पत्र सं० एस०टी०/2019-20/219 दिनांक 16.05.2019 द्वारा सूचित कर स्पष्टीकरण मांगा गया। उक्त फर्म के प्रतिउत्तर एवं M/s RECTPL से किए गये पत्राचार के उपरान्त उक्त दोनों 10 MVA 33/11 KV पावर परिवर्तकों (MEA100918 & MEA100919) के अंतिम निरीक्षण हेतु पत्रांक STP/(ET-15/IPDS/16-17)/19-20/349 दिनांक 20.06.2019 द्वारा M/s RECTPL एवं श्री मदन लाल, अधिशाही अभियन्ता (मुख्यालय) केस्को को संयुक्त रूप से नामित किए जाने के बावजूद आज तक फर्म द्वारा उक्त 02 नं० 10 MVA 33/11 KV पावर परिवर्तकों (MEA100918 & MEA100919) का अंतिम निरीक्षण नहीं कराया गया, जिससे यह विदित होता है कि उक्त फर्म द्वारा उक्त परिवर्तकों की गुणवत्ता अधीमानक थी तथा उक्त फर्म उपरोक्त पावर परिवर्तकों (MEA100918 & MEA100919) की आपूर्ति करने की इच्छुक नहीं थी।


EXECUTIVE ENGINEER
Store Purchase Office
KESCO, XXXXX

इसी प्रकार 10 MVA 33/11 KV पावर परिवर्तकों (MEA100916 & MEA100917) के अन्तिम निरीक्षण की आपत्तियों के अनुसार उक्त फर्म ने अनुमोदित जी०टी०पी० से भिन्न मेक का OLTC, 10 MVA 33/11 KV पावर परिवर्तक (SI No. MEA100916 & MEA100917) में लगाया जाना एक गम्भीर अनियमितता थी। इस सम्बन्ध में उक्त फर्म को केस्को से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक थी, परन्तु बिना पूर्वानुमति के अन्य मेक का OLTC लगाया जाना फर्म के गलत कार्य पद्धति को दर्शाता है। फिर भी फर्म के अनुसंधान पर सद्भावनापूर्ण विचार करते हुए पावर परिवर्तकों के निर्माण हो जाने तथा अन्य मेक के OLTC के मानकों पर जाय करने के उपरान्त अधिशाही अभियन्ता (मण्डल क्रय) कार्यालय द्वारा अन्य मेक के OLTC की ड्राइंग को अन्तिम निरीक्षणोपरान्त अनुमोदित किया गया, जिससे उपरान्त फर्म द्वारा उक्त दोनों 10 MVA 33/11 KV पावर परिवर्तकों (MEA100916 & MEA100917) की आपूर्ति माह मई-2019 में की गयी।

अतः उक्त पेश्यों में मैसर्स मॉर्सन्स इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०, आगरा द्वारा दिए गये तथ्य पूर्णतः असत्य एवं तथ्यहीन हैं।

फर्म के पत्र सं० MEI/KESCO-10MVA/1206 दिनांक 26.08.2019 का अगला पैरा:

"As regards your mentioning of 03 nos. 10 MVA transformers serial nos MEA100908, MEA100912 & MEA100914, we have only to state that once the transformers are supplied by us, and if any fault is notice after that, the same stands covered under the guarantee clause of the contract and the transformer so reported is rectified by us free of cost, which has been done by us unfailingly."

केस्को का प्रतिउत्तर-

मैसर्स मॉर्सन्स इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०, आगरा द्वारा उक्त पेश में यह कहना कि उनके द्वारा आपूर्तित 03 नग 33/11 KV 10 MVA पावर परिवर्तकों में दोष उत्पन्न होते पर बिना मूल्य के पावर परिवर्तकों को दोषमुक्त किया गया, उक्त फर्म का यह कथन एक तरह से केस्को पर उपकार करना प्रदर्शित करता है, जबकि क्रयव्यय/अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार गारण्टी अवधि में आपूर्तित सामग्री में उत्पन्न दोष को दूर करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। यह भी स्पष्ट करना है कि संदर्भित 03 नग पावर परिवर्तक (MEA100908, MEA100912 & MEA100914) को क्रमशः बिजलीघर खण्ड के अन्तर्गत-स्योरभिल उपकेन्द्र, फूलबाग खण्ड के अन्तर्गत-फूलबाग उपकेन्द्र एवं जरीबचौकी खण्ड के अन्तर्गत-जरीबचौकी उपकेन्द्र पर स्थापित करते समय नेगर वैल्यू फस आना/न्युट्रल में कनेक्ट के अधिक होने की समस्या उत्पन्न होने से स्थापना में लगभग 01 माह का विलम्ब हुआ तथा पावर परिवर्तकों को समय से ऊर्जाकरण न होने के कारण, अन्य कार्य भी प्रभावित हुए, जिसके कारण केस्को की छवि भी विद्युत उपभोक्ताओं के मध्य धूमिल हुयी। मात्र 12 नग आपूर्तित 33/11 KV 10 MVA पावर परिवर्तकों में से 03 नग पावर परिवर्तकों में स्थापना के समय ही दोष उत्पन्न होना, सामग्री की गुणवत्ता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

फर्म के पत्र सं० MEI/KESCO-10MVA/1206 दिनांक 26.08.2019 का अगला पैरा:

"As regards Guarantee period failed transformers of 400 KVA and 250 KVA lying at your stores, since the transformers supplied by us are guaranteed for manufacturing defects, immediately upon receipt of a failure report from your store, a questionnaire (Copy enclosed) calling for information regarding protection provided to the transformer, average daily load put on it, earthing provided, remarks made in the log book at the time

Page 23 of 27

EXECUTIVE ENGINEER
Power Purchase Office
KESCO, KANPUR

of failure, and various other informations are sought, is sent to your stores, so as to determine the cause of failure of the transformer. Ironically, such questionnaires being sent by us are never received back duly filled up, which makes it difficult for us to relate the transformer failure cause to manufacturing defects, which we are liable to set right as per the contract terms. Failure of transformer with in guarantee period is a normal process, and when ever such reports are received, transformers have been lifted by us, repaired and returned. For future we request you to kindly issue an instruction to your stores that whenever a guarantee Period failure is reported to us, the questionnaire we send without fail, should be returned back to us duly filled up, which till date your stores is not doing. As regards mention of failure of 13 nos 400 KVA and 04 nos 250 KVA transformers in your aforesaid letter, we have already deputed our representative to lift these for repair on 26.08.2019."

केस्को का प्रतिउत्तर-

मैसर्स मॉसन्स इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० आगरा द्वारा क्रयादेश सं० GMJ-304/AF-25 दिनांक 04.10.2016 एवं क्रयादेश सं० GMJ-304/AF-24 दिनांक 04.10.2016 के विलम्ब आपूर्ति 400 KVA एवं 250 KVA के वितरण परिवर्तकों में से गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त हुए परिवर्तकों को भी उठाने हेतु लगातार पत्राचारों के उपरान्त मरम्मत हेतु परिवर्तकों को माह मई-2018 से उठाना प्रारम्भ किया। माह अगस्त-2019 तक 400 KVA के 13 नग एवं 250 KVA के 04 नग गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त वितरण परिवर्तक भण्डार में रखे थे जिनमें से 08 नग 400 KVA के वितरण परिवर्तकों को फर्म द्वारा मरम्मत हेतु दिनांक 27.08.2019 को उठाया गया। शेष वितरण परिवर्तक भण्डार गृह में अभी भी रखे हुए है। यह भी उल्लेखनीय है कि माह सितम्बर-2019 तक उक्त फर्म द्वारा आपूर्ति 600 नग 400 KVA के वितरण परिवर्तकों के सापेक्ष 43 नग 400 KVA के वितरण परिवर्तक गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त हो चुके है, जिसके अनुसार अनुसूचित क्षतिग्रस्तता का प्रतिशत माह सितम्बर-2019 तक 7.13 है जो कि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पत्रांक 1652-रेसो/सौभाग्य/क्यालिटी सेल दिनांक 25.05.2019 के अनुक्रम में वितरण नियमों में क्रय की जा रही सामग्री/उपकरणों तथा कार्यों की गुणवत्ता के अनुश्रवण हेतु केस्को के कार्यालय झाप सं० 408/पी०ए०टी०/केस्को/2019-20 दिनांक 20.06.2019 द्वारा गठित क्यालिटी सेल एवं जारी निर्देशों के अनुसार वितरण परिवर्तकों के संदर्भ में गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त होने की निर्धारित अधिकतम दर 05 प्रतिशत से अधिक है तथा उक्त फर्म द्वारा आपूर्ति 11/0.43 KV 400 KVA वितरण परिवर्तकों की गारण्टी अवधि में यह क्षतिग्रस्तता दर मात्र 02 वर्ष के अन्दर ही है, जबकि वितरण परिवर्तकों की गारण्टी अवधि स्थापना के दिनांक से 05 वर्ष तथा आपूर्ति के दिनांक से 5.5 वर्ष (जो भी पहले हो) है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त फर्म द्वारा आपूर्ति वितरण परिवर्तकों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है।

फर्म के पत्र सं० MEI/KESCO-10MVA/1206 दिनांक 26.08.2019 का अगला पैरा:

"In the end we would like to inform that we have had a very cordial business relationship with KESCO to whom we have supplied 270 nos 250 KVA, 13 nos 63 KVA against PO No. GMJ-304/AF-25, Dt. 04.10.2016, 600 nos 400 KVA against PO No. GMJ-304/AF-24, Dt. 04.10.2016, and 16 nos. 10 MVA transformers against PO No. GMJ-304/AF-29 dt. 04.10.2016 and have always abided the contract terms in supply of these transformers. We

are an SSI unit covered under the MSMED ACT 2006 according to which payment of supplies should be made to us within a max. Period of 45 days, we are entitled to and the purchaser is under obligation to pay interest at 3 times the rate fixed by RBI compounded monthly in case payments are delayed. When payment of supplies made by us were inordinately delayed by KESCO which totally jeopardized our ability to manufacture and supply the transformers timely, and on the other hand the bank charged interest from us on the advances made by them against our credit limits, in order to save us from total financial collapse, we filed interest cases against KESCO under the MSMED ACT 2006. Your aforesaid letter by giving us a threat of blacklisting seems to be issued with an intention to coerce us into submission, and an effort to punish us for lodging the above claims. In this regard we wish to inform that MSMED ACT 2006 has been enacted by the Government of India for development of SSI units like us, and lodging of claims by us under the Act for interest payments for delays may kindly not be taken otherwise, and the entire issue may please be seen in the right spirits as per the contractually agreed terms"

केस्को का प्रतिउत्तर-

मैसर्स मौसैन्स इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, आगरा द्वारा उक्त पैरा में यह कहना कि उनके द्वारा MSME के अर्न्तगत केस्को द्वारा उक्त फर्म को देरी से किए गये भुगतान पर व्याज प्राप्त करने हेतु MSME ACT 2006 के तहत MSME Facilitation Council में दायर बावों के कारण बदले की भावना से व्यापार निषिद्ध/काली सूची में डालने की कार्यवाही केस्को द्वारा की गयी है, यह कथन पूर्णतः असत्य एवं तथ्यहीन है, क्योंकि क्रयादेश की भुगतान की शर्तों के अनुसार आई०पी०डी०एस० योजना के अर्न्तगत समस्त भुगतान भारत सरकार के उपक्रम R.E.C./P.F.C. द्वारा केस्को को वित्त जारी करने के बाद किए जाएंगे। इन भुगतान की शर्तों को उक्त फर्म द्वारा अनुबन्ध करते समय स्वीकार किया गया, फिर भी उक्त फर्म द्वारा असत्य एवं तथ्यहीन बाव MSME ACT 2006 के तहत MSME Facilitation Council में दायर किए गये, जबकि फर्म को देरी से भुगतान के मुख्यतः कारण उक्त फर्म द्वारा 33/11 KV 10 MVA पावर परिवर्तकों की टाइप टेस्ट रिपोर्ट देरी से प्रस्तुत करना रहा तथा आई०पी०डी०एस० योजना के अर्न्तगत जैसे ही भारत सरकार द्वारा वित्त की उपलब्धता करायी गयी, वैसे ही समस्त फर्मों को केस्को द्वारा भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त केस्को द्वारा उक्त फर्म को समस्त समस्याओं पर सहभाषनापूर्ण रवैया अपनाते हुए समस्या की आपूर्ति अवधि का बिना एल०डी० लगाये विस्तारण किया गया एवं लगभग रु० 4.15 करोड़ का लाभ पेनाल्टी घूट/बावस कर फर्म को दिया। इस सम्बन्ध में पूर्व में ही तालिकाओं के माध्यम से स्पष्ट कर दिया गया है।

फर्म के पत्र सं० MEI/KESCO-10MVA/1206 दिनांक 26.08.2019 का अगला पैरा:

"Since we have fully explained all the issues raised in your letter there remains no matter/issue against us for you to take any action. Further please also depute your inspecting officers for final inspection of 02 nos transformers offered on 16.05.2019 and for stage inspection of 02 nos transformers offered by us on 22.05.2019 so as to conclude the contract. We may further like to re-iterate that this is a contract between us and Kesco, and we both need necessarily to work within the mutually agreed terms of the contract agreement only."


COMPTROLLER-ENGINEER
Store Purchase Office
KESCO, KANPUR

कैस्को का प्रतिउत्तर-

मैसर्स मॉर्सन्स इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, आगरा द्वारा उक्त पैरा में यह कहना कि दिनांक 16.05.2019 एवं 22.05.2019 को पावर परिवर्तकों के निरीक्षण हेतु दिए गये प्रस्ताव पर निरीक्षण अधिकारियों को नामित करें, वर्तमान में किसी भी स्थिति में स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि अधिरापी अभियन्ता (मण्डार क्रय) कार्यालय द्वारा 02 नग 10 MVA 33/11 KV पावर परिवर्तकों (MEA100918 & MEA100919) के अन्तिम निरीक्षण हेतु यत्रांक STP/ET-15/IPDS/16-17/19-20/349 दिनांक 20.06.2019 द्वारा M/s RECTPCL एवं श्री मदन ताल, अधिरापी अभियन्ता (मुख्यालय) कैस्को को संयुक्त रूप से नामित किए जाने के बावजूद फर्म द्वारा उक्त 02 नग 10 MVA 33/11 KV पावर परिवर्तकों (MEA100918 & MEA100919) का अन्तिम निरीक्षण (फर्म के विरुद्ध कार्यवाही करने तक) नहीं कराया गया।

साथ ही यह भी उल्लेख करना है कि मैसर्स मॉर्सन्स इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, आगरा को आई०पी०डी०एस० योजना के तहत जारी क्रयादेश सं० GJM/304/AF-24 दिनांक 04.10.2018 के विरुद्ध आपूर्ति किए गये 11 नग 63 KVA के वितरण परिवर्तक में से 01 नग वितरण परिवर्तक को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ मुख्यालय द्वारा वितरण परिवर्तकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जारी दिश-निर्देशों के अनुपालन में सी०पी०आर०आई०, नोएडा टेस्ट लैब में गुणवत्ता की जांच हेतु भेजा गया, जो कि गुणवत्ता के परीक्षण में मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया, जिसके संदर्भ में मैसर्स मॉर्सन्स इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज, आगरा को कैस्को में 63 KVA क्षमता के वितरण परिवर्तकों की आपूर्ति हेतु आमन्त्रित आगामी निविदाओं में 01 वर्ष तक प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित किया गया। कैस्को ने यह निर्णय आई०पी०डी०एस० योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सामग्री के बाधित हो जाने तथा आई०पी०डी०एस० योजना की प्रगति की सम्भावित रुकावट के दृष्टिगत मैसर्स मॉर्सन्स इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, आगरा द्वारा आपूर्ति किए जा रहे अन्य 250 KVA एवं 400 KVA के वितरण परिवर्तकों तथा 10 MVA के पावर परिवर्तकों के संदर्भ में न लेकर मात्र 63 KVA के वितरण परिवर्तकों की आपूर्ति हेतु आमन्त्रित निविदाओं में ही मात्र 01 वर्ष के लिए प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से घेतावनी स्वरूप प्रतिबन्धित किया गया।

फर्म के पत्र सं० MEI/KESCO-10MVA/1206 दिनांक 26.08.2019 का अगला पैरा:

"We hope we have fully replied to your above letter. However if you still feel that we are at fault (where as we are not) you may appoint an Arbitrator as per clause no. 12 of the Arbitration Conciliation Act, 1996- as amended in 2015, as per the mechanism for settlement of contractual disputes/differences or controversy that has arisen as contained in clause no. 33 of Form B viz. "Arbitration" of the Contract Documents, so that mutual justice prevails."

कैस्को का प्रतिउत्तर-

मैसर्स मॉर्सन्स इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, आगरा द्वारा उक्त पैरा में आरबीट्रेशन किए जाने की मांग कैस्को द्वारा उपरोक्त वर्णित तथ्यों/स्पष्टीकरण दिए जाने के आधार पर किसी भी स्थिति में स्वीकार योग्य नहीं है।

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा याचिका सं० 31946 वर्ष 2019 (मैसर्स मॉर्सन्स इलेक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०, आगरा V/s स्टेट आफ यू०पी०) में पारित आदेश दिनांक 30.09.2019 की प्रतिलिपि उक्त फर्म द्वारा दिनांक 22.10.2019 को कैस्को को उपलब्ध कराने पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में दिए गये निर्देशों के अनुपालन में कैस्को के कारण घेतावनी नोटिस दिनांक 20.08.2019 के संदर्भ

यें उक्त फर्म द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर दिनांक 26.08.2019 का अवलोकन किया गया तथा अवलोकन करने पर केंद्रों द्वारा उपरोक्त उचित तथ्यों एवं फर्म के प्रतिउत्तर पर दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार मैसर्स मार्सन्स इलेक्ट्रिकल्स इन्डस्ट्रीज प्रा०लि० आगरा को केंद्रों क्रयादेश सं० जी०एम०जे०-304/ए०एफ०-29 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत 10 MVA 33/11 के०वी० पावर परिवर्तकों की समय से आपूर्ति न करने, मानकों के अनुरूप सामग्री के निरीक्षण में यथोचित सहयोग न करने, 04 तम 10 एस०बी०ए० पावर परिवर्तकों की आपूर्ति अत्यधिक विलम्ब के उपरान्त भी न करने एवं आई०पी०सी०एस० योजना के कार्यों को बाधित करने एवं क्रयादेश सं० जी०एम०जे०-304/ए०एफ०-29 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत आपूर्ति 400 के०वी०ए० वितरण परिवर्तक की गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्तता दर निर्धारित मानक दर 05 प्रतिशत से अधिक होने, क्षतिग्रस्त वितरण परिवर्तकों को समय से मरम्मत हेतु न उठाये जाने एवं पूर्व में एक बार 83 के०वी०ए० के परिवर्तक की निम्न गुणवत्ता के कारण एक वर्ष के लिए ब्यापार निषिद्ध किए जाने के उपरान्त भी निम्न गुणवत्ता के वितरण परिवर्तकों की आपूर्ति का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप यू०बी०पी०सी०एल० द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुपालन में अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन एवं केंद्रों की छवि खराब करने के दोषी पाये जाने के कारण मैसर्स मार्सन्स इलेक्ट्रिकल्स इन्डस्ट्रीज प्रा०लि० आगरा को विरुद्ध निम्न कार्यवाही की जाती है -

1. केंद्रों द्वारा पावर परिवर्तकों की आपूर्ति हेतु निर्गत क्रयादेश सं० जी०एम०जे०-304/ए०एफ०-29 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत 10 एम०वी०ए०, 33/11 के०वी० पावर परिवर्तकों की ससमय आपूर्ति में असफल रहने के कारण क्रयादेश सं० जी०एम०जे०-304/ए०एफ०-29 दिनांक 04.10.2016 को Short Close करते हुये फर्म द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि रु० 1.01 करोड़ की बी०जी० सं० 027317ILFN3792 (यूनार्डेटेड बैंक ऑफ इण्डिया) दिनांक 13.09.2017 को जब्त किया जाता है।
2. फर्म द्वारा क्रयादेश सं० जी०एम०जे०-304/ए०एफ०-29 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत आपूर्ति किये गये 400 के०वी०ए० वितरण परिवर्तकों के गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्तता, मानक क्षतिग्रस्तता दर 05 प्रतिशत से अधिक होने के कारण यू०बी०पी०सी०एल० द्वारा निर्धारित गारंटी क्लेम में दिए गये निर्देशों के अनुपालन में फर्म की रु० 15345000.00 की बी०जी० सं० 027317ILFN2754 (यूनार्डेटेड बैंक ऑफ इण्डिया) दिनांक 18.04.2017 एवं रु० 15345000.00 की बी०जी० सं० 027317ILFN2755 (यूनार्डेटेड बैंक ऑफ इण्डिया) दिनांक 18.04.2017 को जब्त करते हुये केंद्रों के अन्तर्गत शगली 03 विविधता या 03 वर्ष (जो प्राय में हो) तक वितरण परिवर्तक की निविदाओं में प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित किया जाता है।

प्रबन्ध निदेशक, केंद्रों

पत्रांक- 782/एस०टी०पी०/19-20/

दिनांक- 11.11.2019

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आबश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन शक्ति भवन 14, अशोक मार्ग लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०क०लि०, 7वां तल, शक्ति भवन 14, अशोक मार्ग लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, परिचालन विद्युत वितरण निगम लि० विकटोरिया पाल भवन।
4. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, कर्जा भवन काईमात रोड सिकन्दर, आगरा।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि० प्रारंभसी।
6. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि० लखनऊ।
7. निदेशक (क०प्र० एवं प्रसा०) 7वां तल, शक्ति भवन 14, अशोक मार्ग लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, केंद्रों कानपुर (शिविर कार्यालय)।
9. निदेशक (वाणिज्य), केंद्रों कानपुर।
10. मुख्य अभियन्ता, केंद्रों कानपुर।
11. उय महाप्रबन्धक (लेखा), केंद्रों कानपुर।
12. अधिराधी अभियन्ता (मिण्डर), केंद्रों कानपुर।
13. यूनार्डेटेड बैंक ऑफ इण्डिया, 8/338, नाला रोड, फीरोज, आगरा-282004।
14. मैसर्स मार्सन्स इलेक्ट्रिकल्स इन्डस्ट्रीज प्रा०लि० आगरा।

(सतीश कुमार गुप्ता)
अधिराधी अभियन्ता, पम्पार कय

